RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15

अंक : 340

दि. 13.04.2026,

सोमवार

पाना : 04

किंमत : 00.50 पैसा

नहीं रही सरस्वती की स्वर-कोकिला: एक युग का अवसान

जब कोई आवाज़ सिर्फ सुरों का मेल न रहकर पीढ़ियों की स्मृतियों में बस जाए, जब कोई कलाकार केवल मंच तक सीमित न रहकर लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाए, तब उसका जाना केवल एक व्यक्तिगत क्षति नहीं होता, बल्कि वह सांस्कृतिक विरासत का एक बड़ा स्तंभ गिरने जैसा होता है। भारतीय संगीत जगत ने आज ऐसी ही एक अपूरणीय क्षति झेली है, जब Asha Bhosle इस संसार को अलविदा कह गईं। 92 वर्ष की आयु में उनका निधन केवल एक जीवन यात्रा का अंत नहीं, बल्कि उस युग का अवसान है, जिसकी गूंज दशकों से हमारे भीतर जीवित थी।

उनकी आवाज़ में एक अजीब-सी जादुई शक्ति थी—वह दिल को छूती ही नहीं थी, बल्कि उसे अपने साथ बहा ले जाती थी। यह वही आवाज़ थी जिसे सुनते हुए हमारे दादा-दादी ने अपने सपने बुने, हमारे माता-पिता ने अपने जीवन के मधुर क्षण जिए और आज की पीढ़ी भी उसी मधुरता में खुद को ढूंढती है। एक ऐसा कलाकार, जो चार-चार पीढ़ियों को जोड़ दे, वह केवल गायक नहीं होता, वह समय का सेतु बन जाता है—और आशा भोसले वही सेतु थीं।

उनकी संगीत यात्रा किसी साधारण संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि निरंतर साधना और आत्म-परिवर्तन की अद्भुत मिसाल थी। शुरुआती दिनों में उन्हें अक्सर अपनी बड़ी बहन Lata Mangeshkar की तुलना में देखा जाता था। लेकिन उन्होंने कभी इस तुलना को अपनी पहचान पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना—एक ऐसा रास्ता, जो जोखिमों से भरा था, लेकिन जिसने उन्हें विशिष्ट बना दिया। उन्होंने हर शैली में खुद को ढाला—चाहे वह रोमांटिक गीत हों, ग़ज़लें हों, क्लब सॉन्ग हों या लोकधुनें—हर जगह उनकी आवाज़ ने अपनी अलग छाप छोड़ी।

उनकी कला की व्यापकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि Naya Daur से लेकर Teesri Manzil, Hare Rama Hare Krishna, Umrao Jaan, Ijazat और Rangeela तक, हर दशक में उन्होंने खुद को नए रूप में प्रस्तुत किया। हर फिल्म के साथ उन्होंने यह साबित किया कि सच्चा कलाकार कभी पुराना नहीं होता—वह हर दौर में नया जन्म लेता है।

80 के दशक तक लोगों के मन में यह धारणा बन गई थी कि आशा जी केवल तेज़ और चुलबुले गीतों के लिए उपयुक्त हैं। लेकिन जब

संगीतकार Khayyam ने फिल्म Umrao Jaan के लिए उन्हें चुना, तो उन्होंने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया। 'दिल चीज़ क्या है' और 'इन आंखों की मस्ती के' जैसे गीतों ने यह दिखा दिया कि उनकी आवाज़ में कितनी गहराई और संजीदगी है। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला और यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया।

उनकी आवाज़ में जो विविधता थी, वह शायद ही किसी अन्य कलाकार में देखने को मिलती है। उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में 12,000 से भी ज्यादा गीत गाए। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसी साधना का प्रमाण है, जिसमें हर गीत के साथ उन्होंने अपनी आत्मा का एक हिस्सा जोड़ दिया।

उनका जीवन केवल सफलता की कहानी नहीं था, बल्कि संघर्षों से भरा हुआ एक प्रेरणादायक सफर भी था। बहुत कम उम्र में विवाह, पारिवारिक चुनौतियां, आर्थिक कठिनाइयां—इन सबके बावजूद उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और अपने हुनर के दम पर एक नई पहचान बनाई। यह वही जिजीविषा थी, जिसने उन्हें समय के साथ और मजबूत बनाया।

उनके निधन की खबर ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया। Narendra Modi सहित कई बड़े नेताओं और कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने उन्हें याद करते हुए कहा कि उनका जाना भारतीय संगीत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। यह केवल औपचारिक श्रद्धांजलि नहीं थी, बल्कि उस खालीपन की अभिव्यक्ति थी, जिसे भर पाना शायद अब संभव नहीं होगा।

मुंबई के Breach Candy Hospital में उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टरों के अनुसार, मल्टी-ऑर्गन फेलियर के कारण उनका निधन हुआ। उम्र से जुड़ी जटिलताओं ने धीरे-धीरे उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। लेकिन यह केवल शरीर की हार थी—उनकी आवाज़ आज भी उतनी ही जीवंत है, जितनी दशकों पहले थी। उनका अंतिम संस्कार Shivaji Park में राजकीय सम्मान के साथ किया गया—वहीं, जहां देश की कई महान हस्तियों को अंतिम विदाई दी गई है। यह सम्मान उनके योगदान का प्रतीक है, लेकिन उनकी असली पहचान तो उनके गीतों में है, जो हमेशा जीवित रहेंगे। आशा भोसले का जाना हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कला का असली अर्थ क्या है। क्या वह केवल मनोरंजन है? या वह एक ऐसा माध्यम है, जो इंसान को उसकी भावनाओं से जोड़ता है? आशा जी के गीतों को सुनकर लगता है कि संगीत केवल ध्वनि नहीं, बल्कि एक अनुभव है—एक ऐसा अनुभव, जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर जाता है। आज जब हम उन्हें विदाई दे रहे हैं, तो यह केवल एक कलाकार को विदाई नहीं है, बल्कि उस दौर को अलविदा कहना है, जिसमें संगीत दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचता था। लेकिन शायद यह विदाई भी अधूरी है, क्योंकि कुछ आवाज़ें कभी खत्म नहीं होतीं। जब भी किसी महफिल में 'चुरा लिया है तुमने जो दिल को' गूंजेगा, जब भी 'आज जाने की ज़िद न करो' की मिठास हवा में घुलेगी, जब भी 'पिया तू अब तो आजा' की धुन पर कोई मुस्कुराएगा—वहां कहीं न कहीं आशा भोसले मौजूद होंगी। उनका शरीर भले ही इस दुनिया से चला गया हो, लेकिन उनकी आवाज़—वह हमेशा हमारे साथ रहेगी। वह हवा में घुली रहेगी, यादों में बसी रहेगी और हर उस दिल में धड़कती रहेगी, जिसने कभी उनके गीतों को महसूस किया है।

यही किसी महान कलाकार की सबसे बड़ी जीत होती है—वह समय से परे हो जाता है। और आशा भोसले समय से परे जा चुकी हैं।

"एन ईवनिंग ऑफ यंग वर्ड्स" में किशोरी कवयित्री यशवी लोढ़ा लिखित दूसरी पुस्तक "द टीनेज क्रोनिकल्स-बुक 2" पर हुई सार्थक चर्चा"

मुंबई, । मायानगरी मुंबई के कैम्प्स कॉर्नर स्थित क्रॉसवर्ड बुक सेंटर में आयोजित एक गरिमापूर्ण समारोह "एन ईवनिंग ऑफ यंग वर्ड्स" में किशोरी कवयित्री सुश्री यशवी लोढ़ा के दूसरे पोएट्री कलैक्शन "द टीनेज क्रोनिकल्स- बुक 2" के विभिन्न पहलुओं पर बॉलीवुड की विभिन्न हस्तियों और प्रबुद्ध साहित्यकारों द्वारा सार्थक चर्चा की गई।

इस गर्मजोशी भरी शाम में बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी और मशहूर साहित्यकार मौजूद थे, जिनमें फिल्म अभिनेत्री ईशा देओल, रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी के अलावा वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती मंजू लोढ़ा मुख्य रूप से शामिल रहीं। इस स्टार-स्टडेड गैदरिंग में जाने-माने सोशलाइट्स, करीबी फैमिली फ्रेंड्स और शुभचिंतक बड़ी संख्या में अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए मौजूद रहे। "द टीनएज क्रॉनिकल्स – बुक 2" कुल 45 कविताओं का एक कलेक्शन है, जो किशोरों के बड़े होने की अंदरूनी दुनिया को बखूबी दर्शाता है। किशोरों में अपनी पहचान, प्रेशर, अकेलापन, फेयरनेस, उम्मीद और खुद को खोजने जैसी थीम के ज़रिये यह किताब उन सारे सवालों और इमोशंस को दिखाती है, जो अक्सर टीन एज के मनोभावों को प्रभावित करते हैं। कई कविताएँ आज की

युवा पीढ़ी से रखी जाने वाली उम्मीदों, लगातार तुलना करने के कल्चर और उन शांत संघर्षों को दिखाती हैं, जो शायद सतही तौर पर हमेशा दिखाई नहीं देते। यह कलेक्शन मेंटल हेल्थ, भविष्य को लेकर अनिश्चितता और बचपन की मासूमियत से बड़े होने की मुश्किलों में होने वाले अहम बदलाव को भी छूता है। साथ ही, इसमें सोच-विचार और उम्मीद का माहौल है, जो पढ़ने वालों को रुकने, खुद को बेहतर समझने और रोज़मर्रा के पलों में मतलब खोजने के लिए बढ़ावा देता है। इस संग्रह की कविताएँ इस बात पर ज़ोर देती हैं कि कन्फ्यूजन और खुद पर शक, बड़े होने का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं। मुंबई की प्रमुख युवा कवयित्री और लेखिका यशवी लोढ़ा, इस अपनी दूसरी किताब में एक ऐसी आवाज़ पेश करती हैं, जो देखने वाली और खुद को समझने वाली दोनों है। उनकी लिखाई उन भावनाओं के बारे में ईमानदार बातचीत शुरू करने की कोशिश करती है, जो कई युवा महसूस करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें बताने में मुश्किल होती है। इस अवसर पर यशवी लोढ़ा ने पुस्तक में से चयनित कविताओं का पाठ किया और यह किताब लिखने के कारणों की सारगर्भित जानकारी भी दी। इसके बाद एक इंटरैक्टिव सेशन और बुक साइनिंग हुई, जहाँ मौजूद लोगों ने उनके काम को करीब से देखा। भारी भीड़ और उत्साहपूर्ण रिस्पॉन्स ने आज के साहित्य में युवा आवाज़ों की बढ़ती पहचान को बखूबी दिखाया। उल्लेखनीय है कि हाल ही में, एक प्राइवेट फंक्शन में "द टीनएज क्रॉनिकल्स – बुक 2" के लोकार्पण के बाद इसकी एडवांस कॉपी को रिव्यू करते हुए, सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन द्वारा भी कवयित्री यशवी लोढ़ा की कविताओं की मुक्त कंठ से सराहना की गई।

अरुणाचल पर चीन के दावे पर भारत का करारा जवाब: संप्रभुता से कोई समझौता नहीं

नई दिल्ली। भारत और China के बीच लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार विवाद की वजह Arunachal Pradesh को लेकर चीन की ओर से किए गए दावे और कुछ स्थानों के नाम बदलने की कोशिश है, जिस पर भारत ने बेहद कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया देते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि उसकी संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर किसी भी तरह का समझौता संभव नहीं है और ऐसे "मनगढ़ंत" प्रयासों को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दो टूक कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है—यह कोई राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि ऐतिहासिक, कानूनी और भौगोलिक सत्य है। चीन द्वारा स्थानों के नाम बदलने या नए नाम देने की कोशिशों को उन्होंने "बेबुनियाद और निराधार" बताते हुए कहा कि इससे जमीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं आता। भारत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि इस तरह की प्रतीकात्मक कार्रवाइयों के जरिए वास्तविक नियंत्रण या अधिकार स्थापित नहीं किया जा सकता। दरअसल, चीन समय-समय पर अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों को अपने नक्शों में अलग नामों से दर्शाता रहा है और उसे "दक्षिण तिब्बत" कहकर दावा करता है। भारत इस दावे को लगातार खारिज करता आया है। मौजूदा घटनाक्रम उसी रणनीति की एक नई कड़ी के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें चीन नक्शों, नामों और प्रशासनिक बदलावों के जरिए अपनी दावेदारी को मजबूत करने की कोशिश करता है। भारत ने यह भी आरोप लगाया कि चीन की ये गतिविधियां दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक बातचीत के बाद भी सीमा पर तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में इस तरह के कदम विश्वास बहाली की प्रक्रिया को कमजोर करते हैं और दोनों पक्षों के बीच बनी नाजुक संतुलन को प्रभावित करते हैं। रिपोर्टों के अनुसार, चीन ने अपने Xinjiang क्षेत्र में एक नया काउंटी स्थापित किया है, जो Afghanistan और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की सीमा के पास बताया जा रहा है। इस कदम को लेकर भी भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से चिंता जताई है, क्योंकि यह क्षेत्र पहले से ही भू-राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। ऐसे किसी भी प्रशासनिक पुनर्गठन से क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ सकता है और तनाव की स्थिति और जटिल हो सकती है।

इस पूरे विवाद का सीधा संबंध Line of Actual Control (LAC) से भी है, जो भारत और चीन के बीच वास्तविक सीमा मानी जाती है, लेकिन दोनों देशों की धारणा इसमें अलग-अलग है। यही कारण है कि समय-समय पर सीमा पर टकराव की स्थितियां बनती रहती हैं। भारत का कहना है कि चीन द्वारा किए जा रहे ये कदम मौजूदा सीमा समझौतों और द्विपक्षीय सहमति के खिलाफ हैं। Ladakh का संदर्भ भी इस विवाद में महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले वर्षों में इसी क्षेत्र में दोनों देशों के बीच गंभीर सैन्य गतिरोध देखने को मिला था। भारत ने पहले भी चीन द्वारा वहां किए गए निर्माण कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों पर आपत्ति जताई थी। वर्तमान घटनाक्रम उसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति और दावे को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। भारत ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह की बयानबाजी और एकतरफा कार्रवाई से दोनों देशों के बीच चल रहे संवाद और स्थिरता के प्रयासों को नुकसान पहुंच सकता है। विदेश मंत्रालय ने चीन से अपील की है कि वह जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करे और ऐसे कदमों से बचे, जो तनाव को बढ़ावा देते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की यह रणनीति केवल क्षेत्रीय दावेदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य भू-राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाना भी है। वहीं भारत का रुख स्पष्ट है—वह अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा।

फिलहाल, यह मुद्दा केवल कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित है, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस विवाद पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि भारत और चीन दोनों ही वैश्विक शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि सीमा विवाद केवल जमीन का मामला नहीं, बल्कि रणनीतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक जटिलताओं से जुड़ा हुआ विषय है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि दोनों देश इस तनाव को संवाद के जरिए सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं या फिर यह विवाद और गहराता है।

तेलंगाना का नया विधेयक, जिसमें बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल को अनिवार्य बनाया गया है, समाज के लिए एक संदेश है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। हमारे देश में बुजुर्ग माता-पिता की उपेक्षा एक गंभीर सामाजिक समस्या के रूप में उभर रही है। गांवों से शहरों की ओर पलायन, संयुक्त परिवारों के विघटन और तेजी से बदलती जीवनशैली के कारण बुजुर्गों की उपेक्षा के मामले बढ़ रहे हैं। अक्सर, जीवन के अंतिम पड़ाव में माता-पिता के पास एकांत में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता या वे वृद्धाश्रमों में शरण लेने के लिए विवश हो जाते हैं। इस संदर्भ में, तेलंगाना विधानसभा द्वारा पारित "कर्मचारी उत्तरदायित्व एवं अभिभावक देखभाल विधेयक, 2026" को कई मायनों में एक महत्वपूर्ण विधायी कदम के रूप में सराहा जा रहा है। इस विधेयक के अनुसार, राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ-साथ सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करना अनिवार्य है। इस आदेश का पालन न करने पर उनके वेतन से कटौती की जाएगी। विशेष रूप से, 15% या 10,000 रुपये (जो भी कम हो) सीधे उनके माता-पिता को भरण-पोषण भत्ते के रूप में भेजे जाएंगे। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों में नैतिक मूल्यों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्धता की भावना पैदा करना और वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

इसके बावजूद, बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल का मुद्दा सड़कों से लेकर संसद तक चर्चा का विषय बना हुआ है। देश में पहले से ही एक राष्ट्रीय कानून है, "माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007"। लेकिन बुजुर्गों की देखभाल पर इसका प्रभाव काफी हद तक नगण्य रहा है। अक्सर कानूनी प्रक्रिया इतनी जटिल और बोझिल हो जाती है कि बुजुर्ग निराश हो जाते हैं और अपनी शिकायतें वापस ले लेते हैं। इस संदर्भ में, यह निर्विवाद है कि तेलंगाना विधानसभा द्वारा पारित विधेयक अधिक प्रभावी होगा। अब यह देखना बाकी है कि तेलंगाना के बाद देश के अन्य कौन से राज्य बुजुर्गों की सहायता के लिए ऐसे विधेयक पारित करेंगे।

सूरत चुनावों में वाल्मीकि समुदाय की उपेक्षा को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष है और बहिष्कार की चर्चा चल रही है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत नगर निगम चुनाव में, भाजपा से जुड़े वाल्मीकि समुदाय के कार्यकर्ताओं में असंतोष साफ दिख रहा है, जो वर्षों से भाजपा का झंडा धारण करते आ रहे हैं। 12 अप्रैल 2026 को दिल्ली गेट पर हुई बैठक में, भाजपा के टिकट धारक वाल्मीकि समुदाय के अधिकांश कार्यकर्ता निराश नजर आए। टिकट तय होने की बात सुनकर कार्यकर्ताओं के चेहरे उतर गए और पार्टी के प्रति उनकी स्पष्ट नापसंदगी साफ झलक रही थी। वर्षों से भाजपा के लिए दिन-रात काम कर रहे वाल्मीकि समुदाय के शिक्षित भाजपा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से पूरा समाज स्तब्ध है। फिलहाल, पार्टी अपनी अगली रणनीति पेश करेगी और मतदान का बहिष्कार करने पर विचार करेगी। कुछ कार्यकर्ता तो बीस साल से अधिक समय से भाजपा के साथ होने

के बावजूद घर से बाहर निकलने में भी हिचकिचा रहे हैं।

वाल्मीकि समुदाय का एकमात्र सवाल यह है कि 120 सीटों में से एक भी वाल्मीकि उम्मीदवार नहीं है। भाजपा ने न केवल वाल्मीकि समुदाय से जुड़े भाजपा कार्यकर्ताओं को बल्कि पूरे वाल्मीकि समुदाय को नजरअंदाज किया है। "साहू न साथ साहू न विकास" की बात करने वाली भाजपा एक भी वाल्मीकि उम्मीदवार को शामिल नहीं कर पाई है। वाल्मीकि समुदाय से जुड़े भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि आने वाले दिनों में वाल्मीकि समुदाय अपनी रणनीति तय करेगा।

संपादकीय

जासूसी के साए में सुरक्षा की चुनौती और पाकिस्तान की दोहरी नीति

भारत की आंतरिक सुरक्षा के सामने एक बार फिर गंभीर खतरे के संकेत उभरकर सामने आए हैं, जब दिल्ली पुलिस ने आईएसआई से जुड़े संदिग्ध आतंकियों के एक और नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। यह घटना केवल एक सामान्य आपराधिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह उस गहरे और सुनियोजित षड्यंत्र का संकेत है, जिसे पाकिस्तान लंबे समय से भारत के खिलाफ संचालित करता आ रहा है। इस पूरे प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान अपनी पुरानी रणनीति पर कायम है, जिसमें वह सीधे युद्ध के बजाय छद्म युद्ध और जासूसी नेटवर्क के माध्यम से भारत को अस्थिर करने का प्रयास करता है।

सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि इस नेटवर्क के माध्यम से न केवल संवेदनशील ठिकानों की जासूसी की जा रही थी, बल्कि इन स्थानों के लाइव फुटेज भी पाकिस्तान तक भेजे जा रहे थे। इसका सीधा अर्थ यह है कि ये गतिविधियां केवल सूचना एकत्र करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनका उद्देश्य भविष्य में आतंकी हमलों की योजना तैयार करना भी हो सकता है। यह स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत गंभीर है, क्योंकि इससे देश के महत्वपूर्ण संस्थानों, सैन्य ठिकानों और सार्वजनिक स्थानों पर खतरा बढ़ जाता है। यह भी देखने में आया है कि पाकिस्तान, जो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खुद को शांति का समर्थक और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला देश बताने की कोशिश करता है, वास्तव में दोहरी नीति अपनाए हुए है। एक ओर वह अमेरिका और पश्चिमी देशों के सामने अपनी छवि सुधारने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी ओर वह आतंकवादियों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और वैचारिक समर्थन देने से पीछे नहीं हटता। इस प्रकार की दोहरी नीति न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। हाल के वर्षों में यह प्रवृत्ति और अधिक स्पष्ट हुई है कि पाकिस्तान समर्थित तत्व भारत के भीतर ऐसे लोगों को खोजने में सफल हो रहे हैं, जो या तो कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित हैं या फिर आर्थिक लालच में आकर देश के खिलाफ काम करने को तैयार हो जाते हैं। यह एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चुनौती भी है, क्योंकि यह केवल सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं रह जाती, बल्कि समाज के भीतर भी जागरूकता और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना आवश्यक हो जाता है। इस संदर्भ में यह प्रश्न भी उठता है कि आखिर पाकिस्तान को भारत के भीतर ऐसे सहयोगी तत्व इतनी आसानी से कैसे मिल जाते हैं। इसका उत्तर कई स्तरों पर छिपा हुआ है। एक ओर जहां कुछ लोग जिहादी विचारधारा से प्रभावित होकर इस रास्ते पर चल पड़ते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग आर्थिक तंगी या लालच के कारण देशद्रोह जैसे कृत्य करने लगते हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि केवल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुधार भी उतने ही आवश्यक हैं। पिछले कुछ समय में देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें लोग पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में पाए गए हैं और वे देश के खिलाफ साजिशों में शामिल थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह कोई isolated घटना नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संगठित नेटवर्क का हिस्सा है। ऐसे में पुलिस और खुफिया एजेंसियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें न केवल तकनीकी रूप से सशक्त होना होगा, बल्कि मानव संसाधन और स्थानीय स्तर पर सूचना तंत्र को भी मजबूत करना होगा। इसके साथ ही भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान के इस असली चेहरे को उजागर करने की आवश्यकता है। केवल द्विपक्षीय स्तर पर विरोध दर्ज कराना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि वैश्विक मंचों पर इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाना होगा, ताकि पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सके। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को भी यह समझना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई तब तक अधूरी रहेगी, जब तक वे पाकिस्तान की दोहरी नीति को नजरअंदाज करते रहेंगे।

भारत के लिए यह समय केवल प्रतिक्रिया देने का नहीं, बल्कि एक ठोस और दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने का है। इसमें सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ साइबर सुरक्षा, निगरानी तंत्र और सीमा प्रबंधन को भी मजबूत करना शामिल होना चाहिए। साथ ही, युवाओं को कट्टरपंथ से दूर रखने के लिए शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता देनी होगी।

बच्चों की बुद्धिमत्ता और मानसिक विकास पर असर

> "वैज्ञानिकों ने कहा है कि हवा में मौजूद पीएम 2.5 (सूक्ष्म कण) के कारण पूरी दुनिया की आबादी को 65 अरब आईक्यू अंक का नुकसान हो रहा है। उनके अनुसार, पीएम कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि वे शरीर के माध्यम से सीधे मस्तिष्क तक पहुंच रहे हैं।

वायु प्रदूषण अब एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुका है। इसका असर अब हृदय, फेफड़े, सांस, त्वचा, दमा, पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियों तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह हड्डियों, श्वसन प्रणाली और प्रजनन तंत्र को भी प्रभावित कर रहा है। यह शरीर के हर अंग को प्रभावित कर रहा है और अब यह कैंसर और मेटाबॉलिक विकार को भी पार कर चुका है। इससे मस्तिष्क पर भी गंभीर असर पड़ रहा है, जिससे डिमेंशिया का खतरा बढ़ गया है। कारण यह है कि अब वातावरण में मानक से ढाई गुना ज्यादा प्रदूषक कण मौजूद हैं। यह मानसिक विकार के साथ-साथ बच्चों की बुद्धिमत्ता पर भी असर डाल रहा है। दुनिया के शोध-अध्ययन प्रमाणित करते हैं कि वायु प्रदूषण बच्चों के मानसिक विकास के लिए गंभीर खतरा है। यह उनकी बुद्धिमत्ता, याददाश्त, एकाग्रता और सीखने की क्षमता को कम कर देता है। प्रदूषित हवा में मौजूद सूक्ष्म कण बच्चों के दिमाग के विकास में बाधा डालते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी भाषा, कौशल, मूड नियंत्रण और व्यवहार संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उच्च वायु प्रदूषण और गंदी हवा में रहने वाले बच्चों के आईक्यू स्कोर में मौजूद प्रदूषक तत्वों के कारण बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन, उनकी सोचने-समझने की क्षमता और व्यवहार पर नकारात्मक असर डालते हैं। यही नहीं, अत्यधिक सक्रियता, खराब स्मृति और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई भी पैदा हो सकती है। यह स्थिति अवसाद और चिंता के जोखिम को और बढ़ा देती है। यातायात से संबंधित वायु प्रदूषण इन समस्याओं की बढ़ोतरी में नकारात्मक भूमिका निभाता है। एनपीजे क्लीन एयर नामक शोध में खुलासा हुआ है कि वायु प्रदूषण के कारण इंसान की सोचने-समझने की क्षमता, यानी आईक्यू, पर भी असर पड़ रहा है। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कुल 134 देशों में स्थित 7800 से अधिक शहरों में सेटेलाइट से सूक्ष्म कणों के लांग-लीनियर मॉडल के इस्तेमाल कर गणना की कि वायु प्रदूषण का आईक्यू पर कितना असर हो सकता है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि हवा में मौजूद पीएम 2.5 (सूक्ष्म कण) के कारण पूरी दुनिया की आबादी को 65 अरब आईक्यू अंक का नुकसान हो रहा है। उनके अनुसार, पीएम कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि वे शरीर के माध्यम से सीधे मस्तिष्क तक पहुंच रहे हैं। इससे दिमाग में आक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन पैदा हो रही है। धूल के इन कणों में कैडमियम, मैगनीज और आर्सेनिक जैसी जहरीली धातुएं होती हैं, जो बच्चों के मानसिक विकास के लिए बेहद हानिकारक हैं।

दरअसल, वैज्ञानिकों ने यह शोध 'ईक्यू' को एक संख्या मानकर किया है, जो यह बताती है कि किसी व्यक्ति की सोचने, समझने, तर्क करने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता उसकी उम्र के अन्य लोगों की तुलना में कितनी है। शोध में पाया गया कि हवा में मौजूद पीएम 2.5 के हर एक माइक्रोग्राम के बढ़ने पर आईक्यू स्कोर में गिरावट आई है। वैज्ञानिकों के अनुसार, प्रति व्यक्ति आईक्यू हानि का स्तर उन्नत देशों में ज्यादा है, जहां पीएम 2.5 का स्तर बहुत ज्यादा है।

भारत में अत्यधिक प्रदूषण के कारण आईक्यू का नुकसान 20 अंक तक पहुंच गया है। कम और मध्यम आय वाले देश इस संकट की सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं। इससे बच्चों का विकास सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। यही नहीं, सूक्ष्म कणों के असर से गर्भवती महिलाओं पर भी यह ज्यादा खतरा बन सकता है। गर्भावस्था के दौरान सूक्ष्म कणों का प्रभाव (1 से 6 अंक की हानि) या शराब के सेवन (3 से 7 अंक की हानि) जैसे स्थापित जोखिम कारकों के समान है।

विकासशील देशों पर प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। वहां यह नुकसान 19 अंक तक हो सकता है, जबकि वैश्विक औसत 1 अंक से 2 अंक के बीच है। सबसे दुखदायी यह है कि 15 साल से कम उम्र के लगभग 2.02 करोड़ बच्चे इस प्रदूषण के शिकार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, आज 93 फीसदी बच्चे प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। वायु प्रदूषण से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं अक्सर एयरोसोल से संबंधित होती हैं। एयरोसोल हवा में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल लवण होते हैं। इनका आकार कुछ नैनोमीटर से लेकर कई माइक्रोमीटर तक हो सकता है। एयरोसोल मानव आंखों को मुश्किल से दिखाई देते हैं। इनमें धुआं, कोहरा और औद्योगिक प्रदूषण कण शामिल होते हैं। ये कण जलवायु, मौसम और शरीर में विषाक्तता से संबंधित प्रतिक्रियाओं को जन्म देते हैं। एयरोसोल रसायनों के कारण श्वसन संबंधी, लीवर, तंत्रिका तंत्र, आंख और त्वचा की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके प्रभाव से पौधे और जानवर भी अछूते नहीं रहते।

अब सर्दियों के दिनों में, उत्तरी भारत के मुकाबले साफ माने जाने वाले देश के दक्षिणी राज्यों के प्रमुख शहरों जैसे चेन्नई और बंगलुरू में वायु गुणवत्ता बिगड़ने के संकेत मिल रहे हैं, जो एक खतरनाक नया जोखिम है। इसके पीछे मौसम को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सीपीसीबी के एयर क्वालिटी मानीटरिंग डेटा पर आधारित संस्था क्लाइमेट ट्रेंड्स के विश्लेषण के अनुसार, मौसम की बदलती स्थितियां प्रदूषण के स्तर में 40 फीसदी तक बदलाव ला सकती हैं।

देश के प्रमुख शहरों के विश्लेषण से यह खुलासा हुआ है कि वायु प्रदूषण को केवल उत्सर्जन की समस्या मानना अधूरा दृष्टिकोण है। असल में उत्सर्जन और मौसम के बीच की परस्पर क्रिया ही वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। जब हवा की गति कम और नमी ज्यादा होती है, तब वातावरण में ठहराव बनता है और प्रदूषण तेजी से बढ़ता है।

असलियत में, अब वायु प्रदूषण केवल सर्दियों के मौसम का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह सालभर जारी रहने वाला गंभीर स्वास्थ्य खतरा बन चुका है।

प्रेरणा

अहंकार की पराजय और प्रभु लीला का गूढ़ संदेश

द्वारका नगरी में एक दिन अत्यंत अद्भुत और शिक्षाप्रद प्रसंग घटित हुआ, जो न केवल देवताओं के लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए भी एक गहरी सीख बन गया। श्रीकृष्ण अपने राजसिंहासन पर विराजमान थे और उनके साथ उनकी प्रिय रानी सत्यभामा बैठी थीं। राजमहल का वातावरण सौंदर्य, ऐश्वर्य और शांति से परिपूर्ण था, किंतु इस शांत वातावरण के भीतर एक सूक्ष्म भाव जन्म ले चुका था—अहंकार का। सत्यभामा अपने रूप और सौंदर्य पर गर्व करने लगी थीं और यही गर्व उनके मन में एक प्रश्न बनकर उभरा। उन्होंने श्रीकृष्ण से पूछा कि क्या त्रेता युग में सीता उनसे भी अधिक सुंदर थीं।

भगवान श्रीकृष्ण ने इस प्रश्न के पीछे छिपे भाव को तुरंत पहचान लिया। वे जानते थे कि यह केवल एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि अहंकार का संकेत है। उसी समय उन्होंने देखा कि उनके वाहन गरुड़ को अपनी गति पर अभिमान है और उनका दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र अपनी शक्ति पर गर्व कर रहा है। तीनों के भीतर अलग-अलग प्रकार का अहंकार जन्म ले चुका था—रूप, वेग और शक्ति का। भगवान ने यह निश्चय किया कि इन तीनों का अहंकार एक ही लीला के माध्यम से समाप्त किया जाए।

श्रीकृष्ण ने एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने स्वयं राम का रूप धारण किया और सत्यभामा को सीता का स्वरूप ग्रहण करने को कहा। सुदर्शन चक्र को द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया गया, ताकि कोई भी बिना अनुमति के भीतर प्रवेश न कर सके। वहीं गरुड़ को आदेश मिला कि वे जाकर हनुमान को द्वारका लेकर आएं। यह सब केवल एक नाटक नहीं था, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक शिक्षा का माध्यम था।

गरुड़ अत्यंत तीव्र गति से उड़ते हुए हनुमान जी के पास पहुंचे और उन्हें भगवान का संदेश सुनाया। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से कहा कि आप चलिए, मैं आता हूं। यह सुनकर गरुड़ के मन में यह विचार आया कि यह वृद्ध वानर उनकी गति का मुकाबला कैसे कर सकता है। वे अपने वेग पर गर्व करते हुए तुरंत द्वारका लौट आए। किंतु जब वे वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी उनसे पहले ही वहां पहुंचकर भगवान के चरणों में बैठे हैं।

यह दृश्य देखकर गरुड़ का अहंकार चूर-चूर हो गया। उन्हें समझ आ गया कि भक्ति और समर्पण की शक्ति किसी भी भौतिक गति से अधिक होती है। उनकी लज्जा और विनम्रता ने उनके मन को शुद्ध कर दिया। इसी समय भगवान राम के रूप में विराजमान श्रीकृष्ण ने हनुमान से पूछा कि वे बिना अनुमति के भीतर कैसे प्रवेश कर गए, जबकि द्वार पर सुदर्शन चक्र पहरा दे रहा था। हनुमान जी ने सहज भाव से उत्तर दिया और अपने मुख से सुदर्शन चक्र को बाहर निकालते हुए कहा कि इसने उन्हें रोकने का प्रयास किया, इसलिए वे इसे साथ ही ले आए।

यह देखकर सुदर्शन चक्र भी स्तब्ध रह गया। जो स्वयं को अजेय और सर्वशक्तिमान मानता था, वह हनुमान जी के सामने असहाय हो गया। उसका शक्ति-अहंकार भी एक क्षण में समाप्त हो गया। उसने समझ लिया कि उसकी शक्ति केवल भगवान की इच्छा पर निर्भर है और उसके बिना वह कुछ भी नहीं।

इसके बाद हनुमान जी की दृष्टि सत्यभामा पर पड़ी, जो सीता के रूप में भगवान के साथ बैठी थीं। हनुमान जी, जो सीता माता के अनन्य भक्त हैं, उन्होंने सत्यभामा को देखकर पूछा—प्रभु, आज सीता माता के स्थान पर यह दासी क्यों बैठी हैं? यह सुनते ही सत्यभामा का सिर लज्जा से झुक गया। उनका रूप-अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया। उन्होंने अनुभव किया कि सच्चा सौंदर्य बाहरी रूप में नहीं, बल्कि त्याग, पवित्रता और भक्ति में होता है, जो सीता माता में विद्यमान था।

इस प्रकार भगवान की इस लीला के माध्यम से तीनों का अहंकार समाप्त हो गया। गरुड़ ने अपनी गति के गर्व को त्याग दिया, सुदर्शन चक्र ने अपनी शक्ति के अहंकार को छोड़ दिया और सत्यभामा ने अपने रूप के अभिमान को समाप्त कर दिया। तीनों ने भगवान के चरणों में झुककर कृतज्ञता प्रकट की और यह स्वीकार किया कि उनके भीतर जो भी श्रेष्ठता है, वह केवल भगवान की कृपा से ही है।

यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह उसे वास्तविकता से दूर कर देता है और उसे अपने ही गुणों के भ्रम में फंसा देता है। जब तक मनुष्य अपने अहंकार को नहीं त्यागता, तब तक वह सच्चे ज्ञान और भक्ति का अनुभव नहीं कर सकता। इसके विपरीत, विनम्रता और समर्पण मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाते हैं।

हनुमान जी इस बात का सर्वोत्तम उदाहरण हैं। उनके पास अपार शक्ति, ज्ञान और क्षमता थी, किंतु उन्होंने कभी अहंकार को अपने भीतर स्थान नहीं दिया। उनकी भक्ति और विनम्रता ही उन्हें महान बनाती है। इसी कारण वे आज भी भक्तों के हृदय में सर्वोच्च स्थान रखते हैं।

भगवान श्रीकृष्ण की यह लीला यह भी दर्शाती है कि ईश्वर अपने भक्तों को सही मार्ग पर लाने के लिए विभिन्न उपाय करते हैं। कभी वे प्रेम से समझाते हैं, तो कभी लीला के माध्यम से अहंकार को तोड़ते हैं। यह सब केवल इसलिए होता है, ताकि भक्त सच्चे मार्ग पर चल सके और आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सके।

अंततः यह कहा जा सकता है कि जीवन में चाहे कितनी भी उपलब्धियां क्यों न प्राप्त हो जाएं, मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा यह स्मरण रखना चाहिए कि जो कुछ भी उसके पास है, वह ईश्वर की कृपा का परिणाम है। जब यह भावना मन में स्थापित हो जाती है, तब जीवन में सच्ची शांति, संतोष और आनंद का अनुभव होता है। यही इस कथा का सार है और यही वह मार्ग है, जो मनुष्य को सच्चे आध्यात्मिक उत्थान की ओर ले जाता है।

संसदीय कामकाज की बदलती संस्कृति

भारत का लोकतंत्र बहुलतावाद पर आधारित राष्ट्रीयता की उस उदात्त कल्पना पर प्रतिष्ठित है, जिसमें विविधता को शक्ति माना गया है। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी संवैधानिक संस्थाएं हैं। संसद इन संस्थाओं का सर्वोच्च मंच है। इस सदन में व्यक्त होने वाली हर आवाज देश के करोड़ों नागरिकों की आशाओं और अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा अध्यक्ष का पद भारतीय संसदीय लोकतंत्र में सर्वोच्च गरिमापूर्ण, निष्पक्ष और शक्तिसंपन्न संवैधानिक पद है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अंतर्गत निर्वाचित लोकसभा के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष सदन की कार्यवाही के सुचारु संचालन, नियमों के पालन, सांसदों के अनुशासन, विशेषाधिकारों की रक्षा और सदन की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं।

वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को 19 जून, 2019 को 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया। इस निर्वाचन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ-साथ प्रमुख विपक्षी दलों ने भी अपना समर्थन दिया। यह व्यापक सहमति इस विश्वास का प्रमाण थी कि वे सदन को संतुलित, प्रभावी और अनुशासित रीति से संचालित करने की क्षमता रखते हैं। अध्यक्ष पद ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने जो सुधारात्मक प्रयास और संस्थागत नवाचार किए, उनसे न केवल लोकसभा की कार्य संस्कृति में सकारात्मक परिवर्तन आया, अपितु सदन की कार्यक्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित कर दशकों से चली आ रही परिपाटी को नई दिशा दी है। लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद स्वाभाविक एवं अपेक्षित हैं, किंतु वे मनभेद में परिवर्तित नहीं होने चाहिए। वैचारिक विविधता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही लोकतंत्र को जीवंत बनाती है। तथापि, मतभेदों की अभिव्यक्ति नियमों और संसदीय प्रक्रियाओं के दायरे में ही सार्थक होती है। ओम बिरला ने जिस संयम के साथ विभिन्न परिस्थितियों का सामना किया, वह न केवल सराहनीय है, अपितु विधानसभाओं के लिए भी एक आदर्श उदाहरण है। उनके कार्यकाल का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पहलू संसदीय प्रणाली के संस्थागत सुदृढ़ीकरण से संबंधित है। इसी दिशा में नवनिर्वाचित सांसदों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम (ओरिएंटेशन प्रोग्राम) एक सुव्यवस्थित और प्रभावी प्रशिक्षण सत्र के रूप में स्थापित किया गया, जो उन्हें संसदीय प्रक्रियाओं, नियमों, विधायी कार्य तथा उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों से सुपरिचित कराता है। इससे न केवल सांसदों की सदन में भागीदारी अधिक प्रभावी हुई, बल्कि बहसों की गुणवत्ता में भी ठोस सुधार परिलक्षित हुआ। संसदीय समिति प्रणाली विधायी प्रक्रिया की दक्षता, जवाबदेही और समावेशिता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोकसभा के संसदीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान 'प्राइड' (पार्लियामेंटरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फार डेमोक्रेसीज) के माध्यम से विभिन्न विधानसभाओं तथा संसद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में डिजिटाइजेशन, तकनीकी एकीकरण, संसदीय समितियों की कार्यप्रणाली एवं समन्वय, अनुसंधान सहायता और विभाग-संबंधित स्थायी समितियों में विधेयकों के अनिवार्य संदर्भ जैसे विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

ओम बिरला के नेतृत्व में लोकसभा को 'पेपरलेस' बनाने और तकनीकी आधुनिकीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 'डिजिटल संसद' प्लेटफार्म की स्थापना, सांसदों के लिए डिजिटल उपस्थिति प्रणाली जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं इसी व्यापक परिवर्तन का अंग हैं। मंत्रियों द्वारा सदन में दिए गए आश्वासनों की निगरानी के लिए 'आनलाइन एश्योरेंस मानिटरिंग सिस्टम' को सशक्त किया गया, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों की जवाबदेही और पारदर्शिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसी क्रम में 'नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन' कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर लागू किया गया। वर्तमान में 21 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की विधानमंडल इस प्लेटफार्म के माध्यम से अपना विधायी कामकाज डिजिटल माध्यम से संचालित कर रही हैं।

बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में मेरा अनुभव है कि इस नवाचार से विधानसभाओं की डिजिटल कार्यप्रणाली को अत्यंत प्रोत्साहन मिला है। संसदीय कार्यवाही के आधुनिकीकरण तथा पारदर्शिता, सुगमता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से विकसित स्वदेशी एआइ टूल 'संसद भाषिणी' का उपयोग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारत की भाषायी विविधता को ध्यान में रखते हुए इसके माध्यम से संसदीय दस्तावेजों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

लोकसभा अध्यक्ष का पद दलगत राजनीति से ऊपर होता है और संविधान ने उन्हें तटस्थ मध्यस्थता की महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की है। संसदीय अनुशासन को बनाए रखना अध्यक्ष की एक अनिवार्य संवैधानिक जिम्मेदारी होती है। संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निश्चित रूप से मूलभूत है, किंतु यह स्वतंत्रता संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं के दायरे में ही अर्थपूर्ण एवं वैधानिक होती है। ऐसे में जब अध्यक्ष को अनुशासन बनाए रखने के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, तो राजनीतिक असहमति का उभरना स्वाभाविक है। फिर भी यह समझना आवश्यक है कि यदि अध्यक्ष की संस्था को निरंतर विवादों और अविश्वास के घेरे में रखा जाएगा, तो इससे संसदीय लोकतंत्र की मूल संरचना कमजोर हो सकती है।

भारतीय संसदीय लोकतंत्र की यात्रा केवल संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण की कहानी नहीं है। यह उस अटूट संकल्प की गाथा है, जो प्रत्येक चुनौती को अवसर में और प्रत्येक संकट को नवनिर्माण की शक्ति में परिवर्तित करती है। जब तक सदन में एक भी स्वर जनआकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता रहेगा, भारत का लोकतंत्र न केवल जीवित रहेगा, अपितु और अधिक दीप्तिमान होता रहेगा।

अभियान

बुरी नज़र से रक्षा के पारंपरिक उपाय और उनका आध्यात्मिक रहस्य

भारतीय संस्कृति में "नज़र लगना" केवल एक लोकमान्यता नहीं, बल्कि एक गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अनुभव के रूप में देखा जाता है। विशेषकर छोटे बच्चों के संदर्भ में यह विश्वास और भी अधिक प्रचलित है, क्योंकि बच्चों को सबसे अधिक संवेदनशील और ऊर्जा से भरा हुआ माना जाता है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक प्रशंसा, ईर्ष्या या नकारात्मक भाव से बच्चे को देखता है, तो ऐसा माना जाता है कि उसकी नकारात्मक ऊर्जा बच्चे के ऊपर प्रभाव डाल सकती है। इसके परिणामस्वरूप बच्चा अचानक रोने लगता है, बीमार पड़ जाता है या उसकी सामान्य चंचलता में कमी आ जाती है। ऐसे में हमारे पूर्वजों ने कई सरल और प्रभावी उपाय बताए हैं, जिनके माध्यम से इस नकारात्मक प्रभाव को दूर किया जा सकता है।

इन उपायों में सबसे पहला उपाय है लाल मिर्च, अजवाइन और पीली सरसों का प्रयोग। इन तीनों को मिट्टी के छोटे बर्तन में जलाकर जो धुआं उत्पन्न होता है, उसे बच्चे के आसपास घुमाया जाता है। यह प्रक्रिया केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि इसका वैज्ञानिक पक्ष भी है। इन वस्तुओं के जलने से उत्पन्न धुआं वातावरण में मौजूद कुछ हानिकारक तत्वों को समाप्त करता है और एक प्रकार की शुद्धि का कार्य करता है। जब इस धुएं को बच्चे के पास ले जाया जाता है, तो यह माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और बच्चा पुनः सामान्य स्थिति में आ जाता है।

दूसरा उपाय शनिवार के दिन हनुमान जी की आराधना से जुड़ा हुआ है। हनुमान जी को शक्ति, साहस और नकारात्मक शक्तियों के विनाशक के रूप में पूजा जाता है। जब कोई व्यक्ति शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर श्रद्धा से उनकी पूजा करता है और उनके कंधे से सिंदूर लेकर नजर लगे व्यक्ति के माथे पर लगाता है, तो यह एक प्रकार की दिव्य सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। यह विश्वास है कि हनुमान जी की कृपा से सभी प्रकार की बुरी शक्तियां दूर हो जाती हैं और व्यक्ति को मानसिक एवं शारीरिक शांति प्राप्त होती है।

तीसरा उपाय नमक, राई, राल, लहसुन, प्याज के सूखे छिलके और सूखी मिर्च का प्रयोग करके किया जाता है। इन सभी वस्तुओं को अंगारे पर डालकर जो अग्नि उत्पन्न होती है, उसे नजर लगे व्यक्ति के ऊपर सात बार घुमाया जाता है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से प्रभावशाली मानी

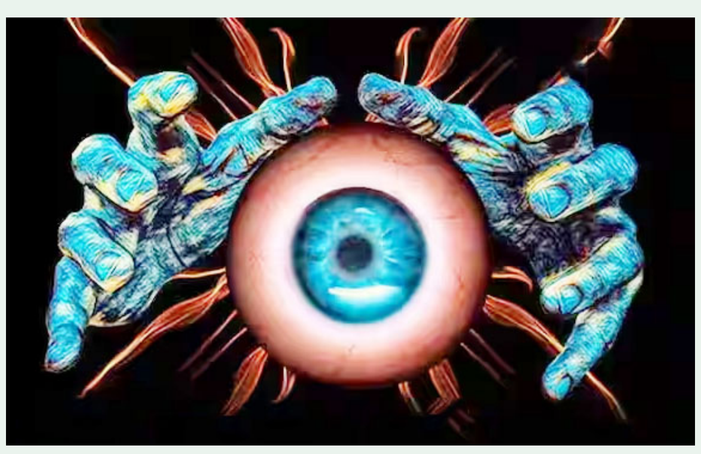

जाती है, क्योंकि इसमें अग्नि और धुएं दोनों का प्रयोग होता है। अग्नि को भारतीय परंपरा में शुद्धि का प्रतीक माना गया है, और जब इसे इन विशेष वस्तुओं के साथ प्रयोग किया जाता है, तो यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने में सहायक माना जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि नजर केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि भोजन को भी लग जाती है। जब भोजन में नजर लग जाती है, तो उसे खाने के बाद अस्वस्थता या बेचैनी महसूस हो सकती है। ऐसे में एक सरल उपाय बताया गया है कि तैयार भोजन में से थोड़ा-थोड़ा हिस्सा एक पत्ते पर लेकर उस पर गुलाब जल छिड़ककर रास्ते में रख दिया जाए। यह प्रक्रिया एक प्रकार की प्रतीकात्मक अर्पण क्रिया है, जिसमें नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद जब परिवार के सदस्य भोजन करते हैं, तो वे अधिक सुरक्षित और संतुलित महसूस करते हैं। एक और रोचक उपाय है पान में गुलाब की सात पंखुड़ियां रखकर नजर लगे व्यक्ति को खिलाना। यह उपाय न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी छिपा हुआ है। जब व्यक्ति इष्ट देव का नाम लेकर इस पान का सेवन करता है, तो उसके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह सकारात्मकता ही नकारात्मक प्रभावों को दूर करने में सहायक होती है।

इसी प्रकार एक और उपाय इमली की छोटी डालियों का प्रयोग करके किया जाता है। इमली की तीन छोटी डालियों को आग में जलाकर नजर लगे व्यक्ति के सिर के ऊपर से सात बार घुमाया जाता है और फिर उसे पानी में बुझा दिया जाता है। इस पानी को रोगी को पिलाने से नजर दोष दूर होने की मान्यता है। यह प्रक्रिया भी एक प्रकार की ऊर्जा परिवर्तन की क्रिया है, जिसमें अग्नि, जल और वायु तीनों तत्वों का संतुलन स्थापित किया जाता है।

इन सभी उपायों के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आधार है। यह केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक ऐसी परंपरा है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है और जिसने लोगों के जीवन में मानसिक संतुलन और सुरक्षा की भावना को बनाए रखा है। जब कोई व्यक्ति इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, तो उसे मानसिक शांति मिलती है, जो स्वयं में एक बड़ी चिकित्सा है।

आज के आधुनिक युग में भले ही विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली हो, लेकिन मानव मन की संवेदनाएं और भावनाएं अब भी उतनी ही गहरी हैं। जब कोई माता-पिता अपने बच्चे को अचानक अस्वस्थ या परेशान देखते हैं, तो वे हर संभव उपाय अपनाना चाहते हैं। ऐसे में ये पारंपरिक उपाय उन्हें एक मानसिक सहारा प्रदान करते हैं और उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि वे अपने बच्चे की रक्षा कर रहे हैं।

यह भी महत्वपूर्ण है कि इन उपायों को अंधविश्वास के रूप में न देखकर, एक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में समझा जाए। यदि बच्चा लगातार बीमार रहता है या उसकी स्थिति गंभीर होती है, तो चिकित्सा उपचार अवश्य आवश्यक है। इन उपायों को केवल सहायक उपाय के रूप में ही अपनाना चाहिए, न कि चिकित्सा का विकल्प मानकर।

अंततः यह कहा जा सकता है कि बुरी नजर से बचाव के ये उपाय हमारे समाज की सांस्कृतिक धरोहर हैं, जो हमें न केवल आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी संतुलित रखते हैं। जब हम इन उपायों को समझदारी और श्रद्धा के साथ अपनाते हैं, तो वे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और हमें एक सुरक्षित एवं संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

150 हाथियों जितना वजन उठाने वाली क्रेन बनी इंजीनियरिंग का चमत्कार, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ने रचा नया इतिहास

भारत की तकनीकी और बुनियादी ढांचा क्षमताएं एक नए युग में प्रवेश कर रही हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस समय अहमदाबाद–मुंबई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में देखने को मिल रहा है। देश की सबसे महत्वाकांक्षी परिवहन परियोजनाओं में शामिल इस हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट में ऐसा इंजीनियरिंग कारनामा सामने आया है, जिसने न केवल भारतीय रेलवे बल्कि वैश्विक निर्माण तकनीक के क्षेत्र में भी ध्यान आकर्षित किया है। इस परियोजना के अंतर्गत उपयोग की गई अत्याधुनिक क्रॉलर क्रेन लगभग 150 हाथियों के बराबर वजन उठाने में सक्षम बताई जा रही है, जिसने निर्माण कार्य को अभूतपूर्व गति और सटीकता प्रदान की है।

यह परियोजना नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की देखरेख में संचालित हो रही है, जो भारत में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का संचालन कर रही है। इस पूरे ट्रैक निर्माण में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह आधुनिक इंजीनियरिंग की उस ऊंचाई को दर्शाता है, जहां भारी संरचनाओं को भी बेहद सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से स्थापित किया जा सकता है।

हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद के मणिनगर क्षेत्र में एक विशाल प्रीकास्ट आरसीसी पोर्टल बीम को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया, जिसका वजन लगभग 1360 मीट्रिक टन बताया जा रहा है। यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसे मात्र 3.5 घंटे के सीमित ट्रैफिक ब्लॉक के भीतर पूरा किया गया, जिससे रेलवे संचालन पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा। इस पूरे ऑपरेशन में जिस क्रेन का उपयोग किया गया, उसकी क्षमता 2200 टन तक की है, जो इसे भारतीय निर्माण इतिहास की सबसे शक्तिशाली मशीनों में से एक बनाती है।

इस विशाल संरचना का आकार भी अपने आप में उल्लेखनीय है। यह पोर्टल बीम लगभग 34 मीटर लंबा, 5.5 मीटर चौड़ा और 4.5 मीटर ऊंचा है। इसे उच्च गुणवत्ता वाले M50 ग्रेड कंक्रीट से तैयार किया गया है, जिससे इसकी मजबूती और दीर्घायु सुनिश्चित होती है। इस

प्रकार की संरचनाएं उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए आवश्यक स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करती हैं, जो 300 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार पर भी सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करती हैं।

इस पूरे ऑपरेशन को बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण माना गया, क्योंकि इतने भारी भार को उठाना और उसे सटीक स्थान पर स्थापित करना आसान कार्य नहीं होता। इसके लिए क्रेन को साइट तक पहुंचाने में लगभग 110 ट्रेलरों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद विशेषज्ञ इंजीनियरों की टीम ने इसे चरणबद्ध तरीके से असेंबल किया, ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी त्रुटि या असंतुलन की संभावना न रहे। सुपर-लिफ्ट तकनीक से लैस यह क्रेन भारी संरचनाओं को नियंत्रित तरीके से उठाने और स्थापित करने में अत्यंत सक्षम है।

इस पूरे निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा गया। लगभग 3 घंटे 30 मिनट के लिए रेलवे ट्रैक पर ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया, जिसके दौरान पूरी प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक अंजाम दिया गया। कार्य पूर्ण होने के बाद रेलवे यातायात को पुनः सामान्य रूप से बहाल कर दिया गया, जिससे यह सुनिश्चित हो सका कि सामान्य संचालन पर कोई दीर्घकालिक प्रभाव न पड़े।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस सफलता की जानकारी साझा की और इसे देश की तकनीकी प्रगति की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उनके अनुसार, यह परियोजना भारत को उन देशों की श्रेणी में शामिल कर रही है, जो हाई-स्पीड रेल तकनीक में वैश्विक स्तर पर अग्रणी हैं।

परियोजना से जुड़े इंजीनियरों के अनुसार, यह केवल एक शुरुआती चरण है और आने वाले समय में इसी तरह के कई अन्य पोर्टल बीमों का निर्माण और स्थापना की जाएगी। P06, P07, P08 और P09 जैसे सेक्शनों में भी इसी प्रकार के विशाल ढांचों को क्रमिक रूप से स्थापित किया जाएगा। इन सभी संरचनाओं का वजन लगभग 1070 से 1110 मीट्रिक टन के बीच है, जिन्हें उच्चतम तकनीकी मानकों के अनुसार तैयार किया जा रहा है।

यह पूरा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर मुंबई से शुरू होकर अहमदाबाद तक विस्तारित है और इसके मार्ग में कई महत्वपूर्ण शहरी और औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। मणिनगर क्षेत्र में इसका एलाइन्मेंट पारंपरिक रेलवे के तीन ट्रैकों को पार करता है और ओल्ड रेलवे कॉलोनी, क्रिकेट ग्राउंड तथा कांकड़िया क्षेत्र से होकर गुजरता हुआ आगे अहमदाबाद स्टेशन और साबरमती मल्टी-मॉडल ट्रांजिट हब की ओर बढ़ता है। यह पूरा नेटवर्क भविष्य में देश की सबसे तेज और आधुनिक रेल प्रणाली के रूप में विकसित होगा।

इस परियोजना का सबसे बड़ा महत्व केवल गति या तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, योजना प्रबंधन और बड़े पैमाने पर समन्वय की शक्ति को भी दर्शाता है। जिस तरह से इतने विशाल और जटिल ढांचों को सीमित समय में सुरक्षित रूप से स्थापित किया जा रहा है, वह इस बात का प्रमाण है कि भारत अब वैश्विक स्तर पर अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सक्षम देशों की सूची में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

बुलेट ट्रेन परियोजना केवल एक परिवहन सुविधा नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की गति का प्रतीक बनती जा रही है। यह परियोजना आने वाले वर्षों में न केवल यात्रा के समय को कम करेगी, बल्कि देश की आर्थिक गतिविधियों, औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय संपर्क को भी नई दिशा देगी। यह इंजीनियरिंग का वह अध्याय है, जो भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की ओर और मजबूत रूप से अग्रसर कर रहा है।

महाकाल की नगरी में फर्जी अफसर का खेल बेनकाब भस्म आरती में वीआईपी एंट्री की कोशिश नाकाम

मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक सतर्कता और धार्मिक व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती जैसी अत्यंत विशिष्ट और सीमित प्रवेश वाली पूजा में शामिल होने के लिए एक व्यक्ति ने खुद को आईएएस अधिकारी बताकर न केवल विशेष सुविधा पाने की कोशिश की, बल्कि सरकारी तंत्र पर दबाव बनाने का भी प्रयास किया। हालांकि उसकी यह चाल ज्यादा देर तक नहीं चल सकी और अंततः पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

पूरे घटनाक्रम के अनुसार, आरोपी ने खुद को केंद्र सरकार के एविएशन मंत्रालय में संयुक्त सचिव बताकर मंदिर प्रशासन और सर्किट हाउस के अधिकारियों पर रौब जमाया। उसने दावा किया कि वह उच्च पद पर कार्यरत है और उसे भस्म आरती में विशेष व्यवस्था दी जाए। यही नहीं, उसने इसी प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए सर्किट हाउस में दो कमरे भी बुक करवा लिए, जो आमतौर पर उच्च अधिकारियों और विशिष्ट मेहमानों के लिए आरक्षित होते हैं।

मामला उस समय संदिग्ध हो गया जब सर्किट हाउस के कर्मचारियों ने उससे पहचान पत्र दिखाने को कहा। आरोपी लगातार बहाने बनाता रहा और स्पष्ट रूप से कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। उसके व्यवहार और जवाबों में असंगति देखकर कर्मचारियों को संदेह हुआ, जिसके बाद उन्होंने सतर्कता दिखाते हुए संबंधित विभाग से पुष्टि करने का निर्णय लिया।

जब एविएशन मंत्रालय से संपर्क किया गया, तो यह स्पष्ट हो गया कि जिस नाम से आरोपी खुद को संयुक्त सचिव बता रहा था, उस पद पर कोई ऐसा अधिकारी मौजूद ही नहीं है। यहीं से उसके फर्जीवाड़े की परतें खुलनी शुरू हो गईं। तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई और पुलिस को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा।

महाकाल थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, जिसमें उसने कई तरह की झूठी कहानियां गढ़ने की कोशिश की। उसने पुलिस को यह तक कह दिया कि उसके परिवार में आईएएस अधिकारी हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई करने पर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, उसने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम से पत्र आने का भी दावा किया, ताकि पुलिस पर दबाव बनाया जा सके।

लेकिन जांच के दौरान उसके सभी दावे एक-एक कर झूठे साबित होते गए। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया कि आरोपी का कोई भी संबंध न तो आईएएस सेवा से है और न ही किसी केंद्रीय मंत्रालय से। इसके बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस पूरे मामले ने यह भी उजागर किया है कि किस तरह कुछ लोग फर्जी पहचान और पद का दुरुपयोग कर धार्मिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। भस्म आरती, जो कि महाकाल मंदिर की सबसे पवित्र और विशिष्ट परंपराओं में से एक है, उसमें प्रवेश के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। ऐसे में किसी का फर्जी तरीके से वीआईपी सुविधा पाने का प्रयास न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है।

पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी ने इससे पहले कहां-कहां इस तरह की फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया है और क्या उसने अन्य स्थानों पर भी इसी तरह लाभ उठाने की कोशिश की है।

फूलों की सुगंध में सजी भक्ति, सूरत के गुरुकुल में ठाकोरजी की दिव्य सेवा का अनुपम उत्सव

गुजरात के सूरत में स्थित श्री स्वामीनारायण गुरुकुल में इन दिनों भक्ति, सेवा और सौंदर्य का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। वेड रोड पर स्थित इस गुरुकुल में गर्मी के मौसम के अवसर पर भगवान श्री स्वामीनारायण की सेवा में जो भावनात्मक और कलात्मक समर्पण दिखाई दिया, उसने हर श्रद्धालु के मन को भक्ति से सराबोर कर दिया।

सुबह की कोमल धूप के साथ शुरू हुआ यह सेवा कार्य दोपहर तक चलता रहा, लेकिन इसमें शामिल संतों, भक्तों, युवाओं और महिलाओं के उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं आई। लगभग सात घंटे तक चले इस विशेष आयोजन में हर कोई एक ही भावना से जुड़ा हुआ था—"भगवान की सेवा, अपने जीवन का सर्वोच्च कर्तव्य।" इस सेवा के दौरान फूलों की कोमल कलियों और सुगंधित पंखुड़ियों से ठाकोरजी के लिए जो वाघा (वस्त्र) तैयार की गई, वह केवल एक सजावट नहीं, बल्कि श्रद्धा की जीवंत अभिव्यक्ति थी।

इस वाघा को बनाने में जिन फूलों का उपयोग किया गया, उनमें डॉलर, मोगरा, चमेली, गुलाब, ऑर्किड और जरबेरा जैसे सुगंधित और रंग-बिरंगे पुष्प शामिल थे। हर फूल को बड़े प्रेम और सावधानी से सजाया गया, ताकि भगवान के वस्त्र में सौंदर्य के साथ-साथ शीतलता का भी अनुभव हो। यह केवल कलात्मक कौशल का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना थी, जिसमें हर पंखुड़ी के साथ भक्ति का भाव जुड़ा हुआ था।

स्वामीनारायण परंपरा में 'जैसी देह वैसी सेवा' का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका अर्थ है कि जैसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मौसम के अनुरूप जीवनशैली अपनाता है, उसी प्रकार भगवान की सेवा भी ऋतु के अनुसार की जानी चाहिए। गर्मी के मौसम में भगवान को ठंडक पहुंचाने के लिए फूलों, चंदन और

सुगंधित पदार्थों का उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि इस अवसर पर फूलों की वाघा तैयार कर भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया।

इस सेवा कार्य का संचालन पूजारी विवेकस्वरूपदासजी स्वामी के मार्गदर्शन में हुआ। उनके नेतृत्व में संतों और भक्तों की पूरी टीम ने अत्यंत समर्पण और अनुशासन के साथ इस आयोजन को सफल बनाया। इस दौरान विवेकस्वरूप स्वामी, विश्वस्वरूप स्वामी, निर्मल स्वामी, सरजू स्वामी, आत्मीयस्वरूप स्वामी, प्रेमस्वरूप स्वामी, श्रेयस्वरूप स्वामी, राधारमण स्वामी और हरिकीर्तन स्वामी सहित अनेक संतों और पार्षदों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

इस आयोजन की सबसे विशेष बात यह रही कि इसमें केवल संत ही नहीं, बल्कि पूर्व छात्र, युवा और महिला श्रद्धालु भी पूरे उत्साह के साथ जुड़े। हर किसी ने अपनी क्षमता और भावना के अनुसार योगदान दिया—किसी ने फूल सजाए, किसी ने डिज़ाइन तैयार किया, तो किसी ने भजन-कीर्तन के माध्यम से वातावरण को और अधिक पवित्र बना दिया। यह दृश्य इस बात का प्रतीक था कि जब भक्ति का भाव सच्चा होता है, तो समाज का हर वर्ग एक साथ जुड़कर एक दिव्य वातावरण का निर्माण करता है।

गर्मी के इन चार महीनों के दौरान स्वामीनारायण संप्रदाय में भगवान के श्रृंगार की एक विशेष परंपरा निभाई जाती है। इसमें फूलों की माला, बाजूबंद, कंगन, मुकुट और अन्य आभूषणों से भगवान को सजाया जाता है। साथ ही, इस अवसर पर विशेष भजन और वंदन पदों का गायन भी किया जाता है, जिनकी रचना लगभग 200 वर्ष पहले संतों द्वारा की गई थी। ये भजन केवल संगीत नहीं होते, बल्कि भक्ति और समर्पण का ऐसा माध्यम होते हैं, जो हर श्रद्धालु के हृदय को ईश्वर से जोड़ देते हैं।

इस विशेष आयोजन के दौरान महंत धर्मवल्लभदासजी स्वामी और अन्य संतों द्वारा प्रस्तुत भजन-कीर्तन ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। जैसे ही भजनों की मधुर ध्वनि गूंजती, श्रद्धालु भाव-विभोर होकर भगवान के दर्शन में लीन हो जाते। ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरा परिसर एक दिव्य लोक में परिवर्तित हो गया हो, जहां केवल भक्ति, प्रेम और आनंद का ही वास है।

इस आयोजन ने यह भी संदेश दिया कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह हर उस कार्य में झलकती है, जो समर्पण और प्रेम से किया जाता है। फूलों से बनी यह वाघा केवल भगवान के लिए एक वस्त्र नहीं थी, बल्कि वह उन अनगिनत भावनाओं का प्रतीक थी, जो हर भक्त के हृदय में भगवान के प्रति उमड़ती हैं। अंततः, सूरत के इस गुरुकुल में हुआ यह आयोजन केवल एक धार्मिक परंपरा का निर्वहन नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और सामूहिकता का ऐसा उदाहरण है, जो हर व्यक्ति को यह सिखाता है कि जब मन में सच्चा प्रेम और श्रद्धा हो, तो साधारण से साधारण कार्य भी असाधारण बन जाता है। यहां की यह पुष्प सेवा आने वाले समय में भी श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी और भगवान के प्रति उनकी आस्था को और अधिक गहरा करेगी।

पश्चिम रेलवे द्वारा साबरमती आसनसोल – साबरमती के बीच समर स्पेशल एसी ट्रेन का संचालन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए साबरमती–आसनसोल – साबरमती के बीच विशेष किराये पर समर स्पेशल एसी ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 09435/09436 साबरमती – आसनसोल - साबरमती समर स्पेशल ट्रेन

ट्रेन संख्या 09435 साबरमती – आसनसोल समर स्पेशल ट्रेन (02 ट्रिप) दिनांक 17 एवं 24 अप्रैल 2026 (शुक्रवार) को साबरमती से 22:55 बजे प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन रविवार को 13:15 बजे आसनसोल पहुचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या ट्रेन संख्या 09436 आसनसोल – साबरमती समर स्पेशल ट्रेन (02 ट्रिप) दिनांक 19 एवं 26 अप्रैल 2026 (रविवार) को आसनसोल से 16:10 बजे प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन मंगलवार को 04:30 बजे साबरमती पहुचेगी।

मार्ग में दोनों दिशाओ में यह ट्रेन महेसाणा, पालनपुर, आबू रोड, फालना, मारवाड़, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, ईदगाह आगरा, टूंडला, गोविंदपुरी, प्रयागराज, पं. दीनदयाल उपाध्याय, सासाराम, गया, कोडरमा और धनबाद स्टेशनों पर रुकेगी।

यह ट्रेन एसी 3 टियर (LHB) कोचों के साथ विशेष किराये (Special Fare) पर चलेगी।

ट्रेन संख्या 09435 साबरमती – आसनसोल समर स्पेशल के लिए बुकिंग दिनांक 13.04.2026 से सभी PRS काउंटर्स एवं IRCTC वेबसाईट पर उपलब्ध होगी।

ट्रेनों के समय, ठहराव एवं अन्य जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

वडोदरा का रेलवे हेरिटेज म्यूजियम आमजन के लिए खुला रहेगा निःशुल्क

"विश्व धरोहर दिवस" के अवसर पर पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा प्रतापनगर स्थित रेलवे हेरिटेज म्यूजियम, रोलिंग स्टॉक पार्क एवं हेरिटेज पार्क को आमजन के लिए 13 अप्रैल 2026 से 18 अप्रैल 2026 तक निःशुल्क खोलने का निर्णय लिया गया है।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस अवधि के दौरान यह परिसर प्रतिदिन प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक आगंतुकों के लिए निःशुल्क खुला रहेगा, जिससे अधिक से अधिक लोग भारतीय रेलवे की गौरवशाली विरासत को नजदीक से देख और समझ सकें।

वडोदरा मंडल के वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर श्री अनिल कुमार ने बताया कि प्रतापनगर स्थित यह रेलवे हेरिटेज संग्रहालय भारतीय

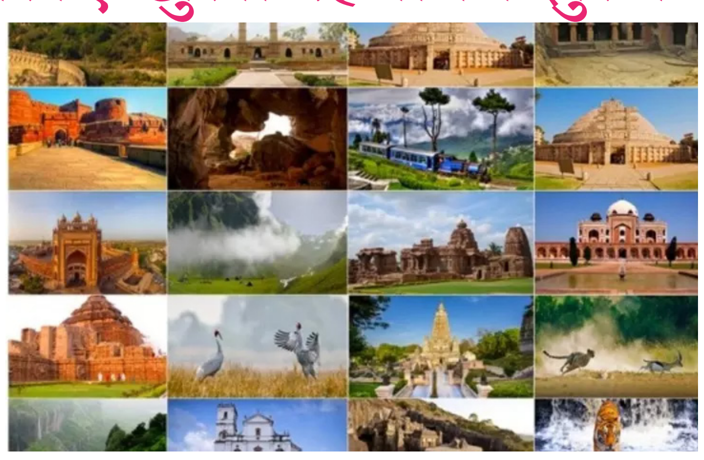

रेल की समृद्ध नैरोगेज विरासत को संजोए हुए है। यहाँ प्रदर्शित संग्रह न केवल ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, बल्कि भावी पीढ़ियों को रेलवे के विकास एवं तकनीकी प्रगति से परिचित कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हेरिटेज पार्क, संग्रहालय एवं रोलिंग स्टॉक पार्क के माध्यम से इस बहुमूल्य धरोहर को संरक्षित किया गया है। पश्चिम रेलवे, वडोदरा मंडल सभी नागरिकों से आग्रह करता है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने परिवार एवं मित्रों के साथ इस ऐतिहासिक स्थल का अवलोकन करें और भारतीय रेल की विरासत से जुड़ें।

सपनों का घर या अधूरा अधिकार? बिल्डर सिस्टम के जाल में फंसा आम खरीदार

एक आम इंसान के जीवन में घर सिर्फ चार दीवारों का ढांचा नहीं होता, बल्कि वह उसकी पूरी जिंदगी की कमाई, उम्मीद और सुरक्षा का प्रतीक होता है। घर बनाने का सपना हर व्यक्ति देखता है, चाहे वह नौकरीपेशा हो या छोटा व्यापारी। वह अपनी पूरी जिंदगी की बचत जोड़ता है, बैंक से लोन लेता है और परिवार की जरूरतों को सीमित करके एक ही लक्ष्य रखता है—अपना एक स्थायी ठिकाना।

लेकिन आज के समय में यह सपना जितना आकर्षक दिखाया जाता है, कई बार उतना ही जटिल और संघर्षपूर्ण भी साबित होता है। बड़े-बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में खरीदारों को आकर्षक ब्रॉशर, मॉडल फ्लैट और सुनहरे वादों के जरिए यह विश्वास दिलाया जाता है कि उनका भविष्य सुरक्षित है। लोकेशन, सुविधाएं, क्लब हाउस, पार्किंग और आधुनिक जीवनशैली के नाम पर एक ऐसा सपना दिखाया जाता है, जिसमें आम आदमी अपनी सारी बचत लगा देता है।

समस्या तब शुरू होती है जब यही सपना धीरे-धीरे एक बोझ बन जाता है। कई मामलों में देखा गया है कि बिल्डर द्वारा अतिरिक्त शुल्कों की मांग शुरू हो जाती है। पार्किंग, मेंटेनेंस, क्लब हाउस, डेवलपमेंट चार्ज और अन्य कई मदों के नाम पर खरीदार से लगातार अतिरिक्त पैसे वसूले जाते हैं। जिस व्यक्ति ने पहले ही अपनी पूरी जमा-पूंजी लगा दी होती है, वह इन मांगों के सामने मजबूर महसूस करता है। उसके पास या तो भुगतान करने का विकल्प होता

है या कानूनी लड़ाई में उलझने का जोखिम, जो समय और धन दोनों की दृष्टि से भारी पड़ता है। इसी प्रक्रिया में कई बार एक और गंभीर पहलू सामने आता है, जहां कुछ प्रोजेक्ट्स में संपत्ति के अधिकार और जमीन के स्वामित्व को लेकर स्पष्टता नहीं होती। खरीदार को फ्लैट या यूनिट तो मिल जाती है, लेकिन जिस भूमि पर वह बना होता है, उसका नियंत्रण पूरी तरह उसके पास नहीं होता। यह स्थिति भविष्य में गंभीर विवादों का कारण बन सकती है, विशेषकर तब जब सोसाइटी के पुनर्निर्माण या पुनर्विकास की आवश्यकता पड़ती है।

वास्तविक समस्या तब और गहरी हो जाती है जब सोसाइटी के गठन और हैंडओवर के बाद भी कई मामलों में जमीन या परियोजना पर आंशिक नियंत्रण बिल्डर या उसके सहयोगियों के पास ही बना रहता है। ऐसे हालात में निवासियों के लिए सामूहिक निर्णय लेना कठिन हो जाता है, क्योंकि कानूनी और प्रशासनिक अधिकार पूरी तरह उनके हाथ में नहीं होते। यही कारण है कि कई हाउसिंग सोसाइटी में वर्षों बाद भी विवाद की स्थिति बनी रहती है।

कई बार यह भी देखा गया है कि खरीदारों को मजबूरी में ऐसी शर्तों को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि वे पहले ही आर्थिक रूप से बहुत अधिक निवेश कर चुके होते हैं। बैंक का लोन, मासिक किस्तें और बढ़ते खर्च उन्हें एक ऐसे दायरे में बांध देते हैं, जहां वे खुलकर विरोध भी नहीं कर पाते और पीछे हट भी नहीं सकते। यह स्थिति एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक और आर्थिक निर्भरता पैदा करती है।

इस पूरे सिस्टम में सबसे बड़ी चुनौती पारदर्शिता की कमी है। खरीदार को शुरुआत में जो जानकारी दी जाती है, वह अक्सर पूरी नहीं होती या बाद में बदल दी जाती है। समय पर कब्जा न मिलना, सुविधाओं का अधूरा रह जाना और अतिरिक्त शुल्कों का बोझ आम समस्याएं बन चुकी हैं। ऐसे मामलों में आम आदमी का सपना धीरे-धीरे तनाव और असुरक्षा में बदल जाता है।

हालांकि यह भी सच है कि रियल एस्टेट सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी जरूरी है कि खरीदारों के अधिकार सुरक्षित रहें और कोई भी पक्ष अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। पारदर्शिता, स्पष्ट अनुबंध और कानूनी सुरक्षा इस क्षेत्र की मूल आवश्यकता बन चुकी हैं। आज के समय में जरूरत इस बात की है कि रियल एस्टेट सेक्टर में ऐसे मजबूत नियम और निगरानी तंत्र हों, जो खरीदार और बिल्डर दोनों के हितों के बीच संतुलन बना सकें। रेरा जैसी संस्थाएं इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं, लेकिन उनका प्रभाव तभी पूरी तरह दिखेगा जब नियमों का सख्ती से पालन हो।

अंततः यह कहा जा सकता है कि घर का सपना हर इंसान का अधिकार है, लेकिन यह सपना तभी सार्थक बनता है जब वह सुरक्षित, पारदर्शी और पूरी तरह स्वामित्व के साथ मिले। वरना जो सपना जीवनभर की मेहनत से जुड़ा होता है, वही एक लंबी परेशानी और संघर्ष की कहानी में बदल सकता है।

अमेरिका-ईरान वार्ता विफल, पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका पर उठे सवाल-चिश्ती का तीखा बयान

पश्चिम एशिया में शांति बहाली की कोशिशों को उस समय बड़ा झटका लगा जब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। लंबे समय से चल रहे तनाव और संघर्ष विराम की उम्मीदों के बीच यह वार्ता वैश्विक स्तर पर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, लेकिन दोनों पक्षों के बीच किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी। ईरान ने अमेरिका द्वारा रखी गई शर्तों को अवैध और अस्वीकार्य बताते हुए उन्हें मानने से साफ इनकार कर दिया, जिससे वार्ता पूरी तरह असफल हो गई।

इस असफल वार्ता के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर मध्यस्थता की भूमिका और उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी-नशीन और सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने पाकिस्तान की भूमिका पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को समर्थन देने और उसे बढ़ावा देने के आरोपों से घिरे देश को मध्यस्थ बनाना अपने आप में गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

चिश्ती ने अपने बयान में कहा कि जब किसी विवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देश स्वयं विवादित छवि और अस्थिर पृष्ठभूमि वाला हो, तो बातचीत की सफलता की संभावना काफी कम हो जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार के संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय मामलों में मध्यस्थ का निष्पक्ष, मजबूत और विश्वसनीय होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा वार्ता केवल औपचारिकता बनकर रह जाती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाना एक बड़ी रणनीतिक गलती थी। उनके अनुसार, पाकिस्तान का इतिहास इस बात की गवाही देता है कि उस पर लंबे समय से आतंकवाद को लेकर गंभीर आरोप लगते रहे हैं, और ऐसे में उसकी भूमिका पर भरोसा करना स्वाभाविक रूप से संदेह पैदा करता है।

पश्चिम रेलवे साबरमती ⇌ आसनसोल के बीच एसी स्पेशल ट्रेन चलाएगा

ट्रेन संख्या	प्रारंभिक स्टेशन और गंतव्य	सेवा की तिथियां	प्रस्थान	आगमन
09435	साबरमती – आसनसोल	17/04/2026 और 24/04/2026	22:55 बजे (शुक्रवार)	13:15 बजे (रविवार)
09436	आसनसोल – साबरमती	19/04/2026 और 26/04/2026	16:10 बजे (रविवार)	04:30 बजे (मंगलवार)

हॉल्ट: महेसाणा, पालनपुर, आबू रोड, फालना, मारवाड़, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, ईदगाह आगरा, टूंडला, गोविंदपुरी, प्रयागराज जंक्शन, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, सासाराम, गया, कोडरमा और धनबाद स्टेशन दोनों दिशाओं में।

कम्पोज़िशन: एसी - 3 टियर हमसफ़र टाइप कोच।

रुकने के समय और कंपोजिशन के बारे में पूरी जानकारी के लिए, यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जा सकते हैं।

ट्रेन नंबर 09435 की बुकिंग 13/04/2026 से सभी PRS काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू होगी। ऊपर बताई गई ट्रेन स्पेशल ट्रेन के तौर पर स्पेशल किराए पर चलेगी।

पश्चिम रेलवे
wr.indianrailways.gov.in
हमें लाइक करें और फॉलो करें:
facebook.com/WesternRly
X.com/WesternRly
Instagram.com/WesternRly
https://www.youtube.com/@WesternRly
https://bit.ly/WesternRailwayOfficial

कृपया सभी आरक्षित टिकटों के साथ अपना वास्तविक पहचान पत्र भी साथ रखें

बैसाखी की दहलीज पर पंजाब में धार्मिक अस्मिता और राजनीति आमने-सामने, बेअदबी कानून को लेकर बढ़ा टकराव

पंजाब की धरती पर बैसाखी का पर्व केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और पहचान का प्रतीक है। इसी पावन अवसर से ठीक पहले राज्य की राजनीति और धार्मिक माहौल एक बार फिर उबाल पर है। पंजाब की पंजाब सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलों में सख्त सजा का प्रावधान करने वाले संशोधन विधेयक को पेश करने की तैयारी कर ली है। यह कदम जहां सरकार के अनुसार धार्मिक सम्मान और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है, वहीं दूसरी ओर इससे एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसने सियासत और धर्म के रिश्तों को फिर से केंद्र में ला खड़ा किया है।

बैसाखी, जिसे खालसा पंथ की स्थापना के रूप में भी मनाया जाता है, सिख समुदाय के लिए अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक महत्व रखती है। ऐसे समय में इस तरह का विधायी कदम उठाया जाना अपने आप में राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में बेअदबी की घटनाओं ने न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, बल्कि सामाजिक तनाव और अस्थिरता को भी जन्म दिया है। इसलिए अब समय आ गया है कि इस तरह के अपराधों के खिलाफ कठोर से कठोर कानून बनाया जाए।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल ने "जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026" के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस प्रस्तावित कानून के तहत बेअदबी के दोषियों को उम्रकैद तक की सजा देने का प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि मौजूदा कानून, विशेष रूप से भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 298, 299 और 300, इस तरह के अपराधों को पूरी तरह से रोकने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि इनमें सजा का प्रावधान अपेक्षाकृत कम कठोर है।

सरकार की ओर से यह भी दावा किया जा रहा है कि इस विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है। इसे पहले एक सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया था, जहां विभिन्न पक्षों को अपनी राय रखने का अवसर दिया गया। सरकार के अनुसार शिरोमणि

गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अन्य धार्मिक संगठनों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने कमेटी के सामने उपस्थित होकर अपने सुझाव नहीं दिए। इस आधार पर सरकार का कहना है कि अब इस बिल का विरोध करना केवल राजनीतिक या भावनात्मक प्रतिक्रिया है, न कि तर्कसंगत आपत्ति।

लेकिन दूसरी ओर तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। SGPC और कई अन्य धार्मिक संगठनों ने इस विधेयक पर गंभीर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और परंपरा से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील विषय है। ऐसे में इसे लागू करने से पहले व्यापक स्तर पर धार्मिक प्रतिनिधियों, संतों और समुदाय के वरिष्ठ लोगों के साथ गहन चर्चा होनी चाहिए थी। उनका आरोप है कि सरकार ने इस प्रक्रिया में पर्याप्त संवाद नहीं किया और अब जल्दबाजी में इसे लागू करने की कोशिश की जा रही है।

धार्मिक संगठनों का यह भी मानना है कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर यदि एकतरफा निर्णय लिया जाता है, तो इससे भविष्य में और अधिक विवाद और असहमति पैदा हो सकती है। उनका कहना है कि कानून बनाना आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी है कि वह कानून समाज के सभी वर्गों की सहमति और विश्वास के साथ बनाया जाए। यदि ऐसा नहीं होता, तो वह कानून अपने उद्देश्य को पूरा करने के बजाय नए तनाव को जन्म दे सकता है।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि धार्मिक आस्था और राज्य की कानून व्यवस्था के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। एक ओर सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कानून-व्यवस्था बनाए रखे और अपराधों पर सख्त कार्रवाई करे, वहीं दूसरी ओर धार्मिक मामलों में संवेदनशीलता और संवाद भी उतना ही आवश्यक है। पंजाब जैसे राज्य में, जहां धर्म और राजनीति का गहरा संबंध रहा है, यह संतुलन और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस विधेयक का समय भी काफी अहम है। बैसाखी जैसे बड़े पर्व से ठीक पहले इसे पेश करना, जहां एक ओर सरकार के इरादों को मजबूत संदेश के रूप में देखा जा सकता है, वहीं दूसरी ओर इसे एक राजनीतिक रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। विपक्षी दल और कुछ सामाजिक संगठन इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह कदम वास्तव में कानून-व्यवस्था के लिए है या फिर इसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करना भी है।

वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने सरकार के रुख को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह कानून किसी एक समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए लाया जा रहा है। उनका कहना है कि सख्त प्रावधानों से उन तत्वों पर लगाम लगेगी, जो जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं।

लेकिन सवाल अब भी वही है—क्या सख्त सजा ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है, या फिर इसके लिए सामाजिक जागरूकता, संवाद और विश्वास निर्माण जैसे कदम भी उतने ही जरूरी हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि केवल कानून बनाकर इस तरह की घटनाओं को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, जब तक कि समाज में आपसी सम्मान और सहिष्णुता की भावना को मजबूत न किया जाए।

फिलहाल पंजाब में स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। एक ओर सरकार अपने फैसले पर अडिग है, तो दूसरी ओर धार्मिक संगठन और समुदाय के कुछ वर्ग इस पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या दोनों पक्ष किसी साझा सहमति तक पहुंच पाते हैं या फिर यह मुद्दा और अधिक गहराता जाता है।

इतना तय है कि यह केवल एक विधेयक का मामला नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास का प्रश्न है, जो राज्य और समाज के बीच होना चाहिए। बैसाखी के इस पावन अवसर पर, जब एकता और आस्था का संदेश दिया जाता है, पंजाब की यह स्थिति एक चुनौती भी है और एक अवसर भी—एक ऐसा अवसर, जहां संवाद, समझ और संतुलन के माध्यम से एक ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है, जो न केवल कानून को मजबूत करे, बल्कि समाज को भी और अधिक जोड़ सके।

"अल फलाह मॉड्यूल" का भंडाफोड़: देशभर में फैले आतंकी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, लश्कर के 5 खूंखार आतंकी गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि देश के खिलाफ रची जा रही साजिशें कितनी गहरी और संगठित हो चुकी हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक सुनियोजित ऑपरेशन के तहत लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े "अल फलाह मॉड्यूल" का भंडाफोड़ करते हुए पांच आतंकियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई केवल एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एक ऐसे नेटवर्क का पर्दाफाश है, जिसकी जड़ें देश के कई राज्यों तक फैली हुई थीं और जो आतंकी गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित करने में अहम भूमिका निभा रहा था।

पूरे मामले की शुरुआत श्रीनगर से मिली खुफिया जानकारी से हुई, जिसने सुरक्षाबलों को सतर्क कर दिया। प्रारंभिक जांच में ही यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई सामान्य आतंकी गतिविधि नहीं, बल्कि एक व्यापक पैन-इंडिया नेटवर्क का हिस्सा है। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया और केंद्रीय एजेंसियों के साथ-साथ हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों की पुलिस को भी इसमें शामिल किया गया। इस समन्वित प्रयास ने धीरे-धीरे उस जाल को उजागर किया, जो लंबे समय से देश के भीतर सक्रिय था।

जांच के दौरान सबसे चौंकाने वाला खुलासा फर्जी दस्तावेजों के नेटवर्क को लेकर हुआ। यह आतंकी मॉड्यूल केवल हथियारों और हमलों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह आतंकियों को नकली आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट तक उपलब्ध करा रहा था। इससे आतंकी आसानी से अपनी पहचान छिपाकर देश के विभिन्न हिस्सों में घूम सकते थे और अपनी गतिविधियों को अंजाम दे सकते थे। यह पहलू इस नेटवर्क को और भी खतरनाक बनाता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देता है।

इस ऑपरेशन में जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें पाकिस्तान का वांछित आतंकी अब्दुल्ला उर्फ अबू हुरैरा भी शामिल है, जो पिछले 16 वर्षों से फरार था। उसके साथ उस्मान उर्फ खुबैब नामक एक अन्य पाकिस्तानी आतंकी को भी पकड़ा गया है। ये दोनों A+ श्रेणी के आतंकी माने जाते हैं, जो लंबे समय से घाटी में सक्रिय रहकर विदेशी आतंकियों के नेटवर्क को संचालित कर रहे थे। पुलिस के अनुसार, ये आतंकी करीब 40 विदेशी आतंकियों के नेटवर्क को संभाल चुके थे, जिनमें से अधिकांश को पहले ही सुरक्षाबलों ने मार गिराया है।

इस पूरे नेटवर्क का एक और अहम किरदार उमर उर्फ "खरगोश" सामने आया है, जो फर्जी पासपोर्ट के जरिए 2024 में जयपुर से विदेश भागने में सफल रहा था। जांच में पता चला कि वह पहले इंडोनेशिया गया और फिर एक खाड़ी देश में शरण ले ली। यह तथ्य इस बात की ओर इशारा करता है कि आतंकी नेटवर्क केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी पहुंच अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैली हुई है।

पूछताछ के दौरान अब्दुल्ला ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया कि उनका नेटवर्क राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तक फैला हुआ था और स्थानीय स्तर पर समर्थन जुटाने के लिए आतंकियों ने कश्मीर में शादी तक की थी, ताकि उन्हें सुरक्षित ठिकाना और सामाजिक संरक्षण मिल सके। यह रणनीति बताती है कि आतंकी संगठन अब केवल हथियारों के दम पर नहीं, बल्कि सामाजिक ताने-बाने में घुसपैठ करके अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं।

इस ऑपरेशन के तहत श्रीनगर और उसके आसपास के जंगलों में बने कई गुप्त ठिकानों का भी पता लगाया गया है। इन ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है, जिनमें AK-47 राइफल, AK-क्रिंकोव, पिस्तौल, हैंड ग्रेनेड और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं। यह बरामदगी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यह नेटवर्क बड़े पैमाने पर हमलों की तैयारी में था।

गिरफ्तार किए गए स्थानीय सहयोगियों में मोहम्मद नकीब भट्ट, आदिल राशिद भट्ट और गुलाम मोहम्मद मीर उर्फ मामा जैसे नाम शामिल हैं, जिन पर आतंकियों को पनाह देने, भोजन उपलब्ध कराने और अन्य लॉजिस्टिक सहायता देने का आरोप है। यह दर्शाता है कि आतंकी नेटवर्क को स्थानीय स्तर पर भी समर्थन मिल रहा था, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है।

इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी नलिन प्रभात के नेतृत्व में की गई, जिसमें श्रीनगर की कार्गो यूनिट ने अहम भूमिका निभाई। 31 मार्च से शुरू हुए इस अभियान ने कई छिपे हुए ठिकानों का खुलासा किया और एक बड़े आतंकी तंत्र को उजागर कर दिया।

गौरतलब है कि यह खुलासा नवंबर 2025 में सामने आए "अल फलाह मॉड्यूल" के बाद हुआ है, जिसमें उच्च शिक्षित पेशेवरों, विशेष रूप से डॉक्टरों की आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई थी। उस मामले का संबंध लाल किला ब्लास्ट से भी जोड़ा गया था, जिसने देश को झकझोर कर रख दिया था।

फिलहाल जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां इस नेटवर्क के बाकी सदस्यों तक पहुंचने के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं। अधिकारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, जिससे इस पूरे आतंकी तंत्र को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके।

यह ऑपरेशन केवल एक सफलता नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है—कि आतंकी संगठन लगातार नए-नए तरीके अपनाकर अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के साथ-साथ आम नागरिकों की सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है, ताकि देश की सुरक्षा को हर स्तर पर मजबूत किया जा सके।

"3 जुलाई से शुरू होगी आस्था की महायात्रा: अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए तैयारियां पूरी, रजिस्ट्रेशन से सुविधाओं तक सब कुछ जानें"

देश की सबसे पवित्र और कठिन तीर्थ यात्राओं में शामिल अमरनाथ यात्रा वर्ष 2026 में 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी। कुल 57 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा को लेकर व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बार यात्रा को पहले से अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए हैं। प्रशासन का अनुमान है कि इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में लगभग 25 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है, जो इस यात्रा के प्रति लोगों की आस्था और उत्साह को दर्शाता है।

इस यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की न्यूनतम आयु 13 वर्ष और अधिकतम आयु 70 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (Compulsory Health Certificate) अनिवार्य किया गया है, ताकि कठिन पर्वतीय मार्गों पर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अमरनाथ यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हिमालय की कठोर परिस्थितियों में श्रद्धा, साहस और धैर्य की भी परीक्षा होती है।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू हो रही है और इसे इस बार और अधिक आसान बनाया गया है। श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पंजीकरण करा सकते हैं। ऑफलाइन पंजीकरण के लिए Punjab National Bank, State Bank of India, Yes Bank और Jammu and Kashmir Bank की देशभर में फैली 554 शाखाओं को अधिकृत किया गया है। वहीं, ऑनलाइन पंजीकरण के लिए श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिससे देश-विदेश के श्रद्धालु आसानी से आवेदन कर सकेंगे।

इस बार यात्रा में तकनीक का भी व्यापक उपयोग किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और ट्रैकिंग के लिए RFID (Radio Frequency Identification) कार्ड अनिवार्य किए गए हैं। इससे प्रशासन को यात्रियों की रीयल-टाइम लोकेशन की जानकारी मिल सकेगी, जिससे आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान की जा सकेगी। इसके अलावा, समूह दुर्घटना बीमा राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी राहत है।

यात्रा मार्गों को भी इस बार और बेहतर बनाया गया है। बालटाल और पहलगाम—दोनों प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण किया गया है, जिससे यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुगम हो सकेगी। बालटाल में नया यात्री निवास शुरू किया गया है, जबकि श्रीनगर में भी आधुनिक सुविधाओं से लैस यात्री आवास उपलब्ध कराया गया है। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य श्रद्धालुओं को आरामदायक और सुरक्षित ठहराव प्रदान करना है।

स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार 200 बेड का आधुनिक अस्पताल भी तैयार किया गया है, जहां आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा, यात्रा मार्गों पर जगह-जगह मेडिकल कैंप और डॉक्टरों की टीमें तैनात रहेंगी। पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक बदलते मौसम को देखते हुए डॉप्लर रडार की स्थापना की गई है, जिससे मौसम की सटीक जानकारी समय पर मिल सके और यात्रियों को किसी भी खतरे से बचाया जा सके।

सुरक्षा के लिहाज से भी इस बार कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, जो पूरे यात्रा मार्ग पर चौकसी बनाए रखेंगे। ड्रोन निगरानी, सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि श्रद्धालुओं को पूरी तरह सुरक्षित वातावरण में यात्रा करने का अवसर मिले।

इसके अलावा, पोनी (घोड़े) मालिकों के लिए भी राहत की घोषणा की गई है। यदि यात्रा के दौरान किसी घोड़े की मृत्यु हो जाती है, तो उसके मालिक को 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। यह कदम उन स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी आजीविका इस यात्रा पर निर्भर करती है।

अमरनाथ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, साहस और संगठन का अद्भुत संगम है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन परिस्थितियों के बावजूद बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए इस यात्रा में शामिल होते हैं। इस बार प्रशासन द्वारा की गई व्यापक तैयारियां यह संकेत देती हैं कि 2026 की यात्रा पहले से अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और यादगार होने वाली है।

जो श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह जरूरी है कि वे समय पर पंजीकरण कराएं, स्वास्थ्य संबंधी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें और प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस को गंभीरता से लें। क्योंकि यह यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने की नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास के साथ हर कठिनाई को पार करने की एक आध्यात्मिक अनुभूति है।

"खतरनाक मजाक बना जानलेवा: एयर कंप्रेसर की एक हरकत ने छीन ली जिंदगी"

दिल्ली से सटे गुरुग्राम के रामपुरा इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने न सिर्फ एक परिवार को उजाड़ दिया, बल्कि कार्यस्थलों पर सुरक्षा और जिम्मेदारी को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। एक मामूली हंसी-मजाक ने कुछ ही पलों में भयावह रूप ले लिया और एक व्यक्ति की जान चली गई। यह घटना इस बात का दर्दनाक उदाहरण है कि लापरवाही और अज्ञानता किस तरह घातक परिणाम दे सकती है।

मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे रामपुरा स्थित एक वर्कशॉप में दो सहकर्मी—हरविंदर और नरेश—के बीच सामान्य बातचीत और मजाक चल रहा था। दोनों लंबे समय से साथ काम करते थे और उनके बीच दोस्ताना संबंध थे। लेकिन अचानक यह हल्का-फुल्का माहौल कहासुनी में बदल गया। गुस्से और आवेग में आकर नरेश ने वर्कशॉप में मौजूद इंडस्ट्रियल एयर कंप्रेसर का नोजल हरविंदर के शरीर के संवेदनशील हिस्से पर लगाकर हवा छोड़ दी।

यह कोई साधारण उपकरण नहीं था। औद्योगिक एयर कंप्रेसर अत्यधिक दबाव से हवा छोड़ता है, जिसका उपयोग मशीनों की सफाई, टायर भरने और भारी उपकरणों के संचालन में किया जाता है। जैसे ही हवा छोड़ी गई, हरविंदर के शरीर के भीतर असामान्य दबाव बनने लगा। कुछ ही सेकंड में उसका पेट असामान्य रूप से फूल गया और अंदरूनी अंग इस दबाव को सहन नहीं कर सके।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्थिति इतनी भयावह हो गई कि आंतरिक अंगों को गंभीर क्षति पहुंची। हरविंदर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने घंटों तक उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन देर शाम उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम में यह स्पष्ट हुआ कि अत्यधिक हवा के दबाव ने शरीर के भीतर विस्फोट जैसा असर पैदा किया, जिससे महत्वपूर्ण अंग पूरी तरह नष्ट हो गए।

इस घटना के बाद खेड़की दौला थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी नरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के भाई की शिकायत पर उसके खिलाफ हत्या (धारा 302) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि यह केवल अचानक हुआ विवाद था या इसके पीछे कोई पुरानी दुश्मनी भी थी।

मृतक हरविंदर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला था और पिछले आठ वर्षों से गुरुग्राम में वेल्डर के रूप में काम कर रहा था। वह अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। उसके चार बेटियां और एक छोटा बेटा है, जो गांव में अपने दादा के साथ रहते हैं। उसकी मौत की खबर जैसे ही परिवार तक पहुंची, वहां मातम छा गया। एक जिम्मेदार पिता और मेहनतकश इंसान का इस तरह जाना न केवल परिवार, बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक गहरी क्षति है।

यह घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि कार्यस्थलों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का भी गंभीर उदाहरण है। विशेषज्ञों के अनुसार, एयर कंप्रेसर जैसे उपकरण अत्यंत खतरनाक होते हैं और इन्हें केवल प्रशिक्षित व्यक्ति ही सावधानीपूर्वक इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि इस तरह के उपकरणों का दुरुपयोग किया जाए, तो यह सेकंडों में जानलेवा साबित हो सकते हैं।

औद्योगिक सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि मानव शरीर किसी भी तरह के उच्च दबाव को सहन करने के लिए बना ही नहीं है। शरीर के किसी भी हिस्से में जबरदस्ती हवा या गैस भरना, विशेषकर ऐसे उपकरणों से, सीधे तौर पर आंतरिक अंगों को नष्ट कर सकता है। यह एक तरह का "इंटरनल ब्लास्ट" होता है, जिसका असर बाहर से कम दिखता है, लेकिन अंदर से शरीर को पूरी तरह तबाह कर देता है।

इस घटना ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कार्यस्थलों पर "मजाक" की भी एक सीमा होनी चाहिए। कई बार लोग बिना सोचे-समझे ऐसी हरकतें कर बैठते हैं, जिनका परिणाम बेहद गंभीर होता है। ऐसे मामलों में जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी भी एक बड़ी वजह बनती है।

सरकार और उद्योगों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे अपने कर्मचारियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करें और स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करें कि कौन-सा उपकरण कैसे और किन परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथ ही, कार्यस्थलों पर सख्त निगरानी और नियमों का पालन सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है।

अंततः, यह घटना एक कड़वा सच सामने लाती है—कि एक पल की लापरवाही और गलत "मजाक" किसी की पूरी जिंदगी छीन सकता है। यह केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं, बल्कि एक परिवार के सपनों का अंत है। ऐसे हादसों से सीख लेना ही समाज और व्यवस्था दोनों की जिम्मेदारी है, ताकि भविष्य में कोई और परिवार इस तरह के दर्द से न गुजरे।

"सूचना दो, इनाम लो" - पंजाब में गैंगस्टर नेटवर्क तोड़ने के लिए नई रणनीति, जनता बनेगी पुलिस की ताकत

पंजाब में अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ निर्णायक लड़ाई को तेज करते हुए पंजाब की पंजाब सरकार ने एक नई और अनोखी पुरस्कार नीति लागू की है, जो न केवल कानून-व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास है, बल्कि इसमें आम नागरिकों को भी इस अभियान का सक्रिय भागीदार बनाने की पहल की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य साफ है—राज्य में फैले गैंगस्टर नेटवर्क को जड़ से खत्म करना और अपराध के खिलाफ एक व्यापक जनआंदोलन खड़ा करना।

इस नई नीति के तहत पंजाब पुलिस को यह अधिकार दिया गया है कि वह वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में विश्वसनीय जानकारी देने वाले लोगों को आर्थिक इनाम दे सके। इसके साथ ही सरकार ने 28 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची भी जारी की है, जो इस बात का संकेत है कि अब कार्रवाई केवल सामान्य स्तर पर नहीं, बल्कि सुनियोजित और लक्ष्य आधारित तरीके से की जा रही है।

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें इनाम की राशि और उसे स्वीकृत करने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को एक लाख रुपये तक, पुलिस कमिश्नर या रेंज के आईजी/डीआईजी को डेढ़ लाख रुपये तक, जबकि स्पेशल डीजीपी/एडीजीपी स्तर के अधिकारी को दो लाख रुपये तक इनाम स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है। वहीं, डीजीपी कार्यालय को दो लाख रुपये से अधिक की राशि मंजूर करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसका मतलब है कि यदि कोई सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होती है, तो उसे उचित स्तर पर उच्च इनाम भी मिल सकता है।

सरकार का मानना है कि केवल पुलिस कार्रवाई से ही गैंगस्टर नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, जब तक कि इसमें जनता की भागीदारी न हो। यही कारण है कि इस नीति के जरिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे आगे आएं और अपराधियों के खिलाफ सूचना देकर राज्य को सुरक्षित बनाने में योगदान दें। हालांकि, इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है—सूचना देने वाले की सुरक्षा और गोपनीयता। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मुखबिर की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी और उसे किसी प्रकार का खतरा नहीं होने दिया जाएगा।

इस अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए "गैंगस्टरों ते वार" प्रोजेक्ट और "ऑपरेशन प्रहार" जैसे विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इन अभियानों के तहत पुलिस ने हाल ही में राज्यभर में व्यापक स्तर पर कार्रवाई करते हुए 56,487 स्थानों पर छापेमारी की है। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है।

इन छापेमारियों और अभियानों के परिणाम भी सामने आने लगे हैं। अब तक कुल 19,894 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, जबकि 9,353 लोगों के खिलाफ निवारक कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 15,284 व्यक्तियों से पूछताछ की गई, जिनमें से कई को सत्यापन के बाद रिहा कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 851 घोषित अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जो लंबे समय से कानून से बचते फिर रहे थे।

यह पूरा अभियान केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य गैंगस्टर नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचकर उसे खत्म करना है। पुलिस अब केवल अपराधियों को पकड़ने पर नहीं, बल्कि उनके आर्थिक स्रोत, संपर्क और नेटवर्क को भी तोड़ने पर ध्यान दे रही है। इस दिशा में आम नागरिकों से मिलने वाली जानकारी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सरकार ने इसके लिए एक एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 भी जारी किया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति गुमनाम रूप से जानकारी साझा कर सकता है। यह कदम उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो किसी कारणवश सामने आकर जानकारी देने में हिचकिचाते हैं, लेकिन समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। हालांकि, इस नीति को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है that ऐसी योजनाओं में यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि गलत या भ्रामक सूचनाओं के आधार पर किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशानी न झेलनी पड़े। इसके लिए सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि हर सूचना की गहन जांच-पड़ताल की जाएगी और केवल प्रमाणिक जानकारी पर ही कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद, इस पहल को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह अपराध के खिलाफ लड़ाई को केवल सरकारी जिम्मेदारी से निकालकर जनसहभागिता का रूप देती है। यह एक ऐसा मॉडल है, जिसमें हर नागरिक खुद को इस लड़ाई का हिस्सा महसूस कर सकता है।

पंजाब लंबे समय से गैंगस्टर गतिविधियों और संगठित अपराध की चुनौतियों से जूझता रहा है। ऐसे में यह नई पुरस्कार नीति एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है, बशर्ते इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और जनता का विश्वास इसमें बना रहे। अंततः, यह पहल केवल इनाम देने की योजना नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है—कि अपराध के खिलाफ लड़ाई में हर नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। जब पुलिस और जनता मिलकर काम करेंगे, तभी राज्य को वास्तव में सुरक्षित और अपराध मुक्त बनाया जा सकेगा।